अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16

(द्वितीय संस्करण)

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश

website: http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
उत्तर प्रदेश।

गिरजा शंकर कटियार

प्राक्कथन

प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय आधारभूत आँकड़ों की महती आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या सतत् रूप से प्रयत्नशील है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सम्पादित हो रहे क्रियाकलापों की संकलित जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन का प्रारम्भ 2011 में किया गया था और अत्यन्त हर्ष का विषय है कि इस कड़ी में वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 दूसरा प्रयास है जिसमें वर्ष 2015–16 में सम्पादित हुए कार्यों के उल्लेख सहित वर्ष 2011 से 2015 के मध्य सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यों को भी समाविष्ट किया गया है।

प्रस्तुत अंक में कुल 19 अध्याय हैं, जिसमें से अध्याय–1 में प्रभाग का परिचय, अध्याय–2 से 18 तक विभिन्न अनुभागों द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण एवं अध्याय–19 में क्षेत्रीय मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय द्वारा कार्यान्वित कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अंक के प्रकाशन में प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशंसनीय योगदान रहा।

मुझे आशा है कि इस प्रकाशन द्वारा अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यों की सारगर्भित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाये जाने हेतु आपके सुझावों का स्वागत है।

दिनांकः **21.04.2017**

(गिरजा शंकर कटियार)

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ए0के0 पाण्डेय, अपर निदेशक, प्रभाग मुख्यालय

सदस्य

1. डा. श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
2. डा. श्रीनाथ यादव, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
3. श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

सदस्य सचिव

श्री अमलेन्दु राय, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

विषय–वस्तु

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	1– 8
2.	राज्य आय अनुभाग	9–22
3.	क्षेत्राधीक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग	23–33
4.	डेटा बैंक अनुभाग	34–37
5.	भाव अनुभाग	38–45
6.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुभाग	46–51
7.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अनुभाग	52–55
8.	ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग	56–61
9.	ऊषा अनुभाग	62–65
10.	ई0डी0पी0 अनुभाग	66
11.	सॉफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण अनुभाग	67–68
12.	ग्राफ अनुभाग	69
13.	SSSP सेल	70–75
14.	आर्थिक गणना अनुभाग	76–81
15.	प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग	82–84
16.	समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	85–87
17.	स्थापना अनुभाग	88–90
18.	लेखा अनुभाग	91–92
19.	क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	93–104
20.	फोटो सेक्शन	105–110

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी प्रभाग का एक कार्मिक–सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) के पद पर कार्यालय–खण्ड विकास अधिकारी में तैनात होता है।

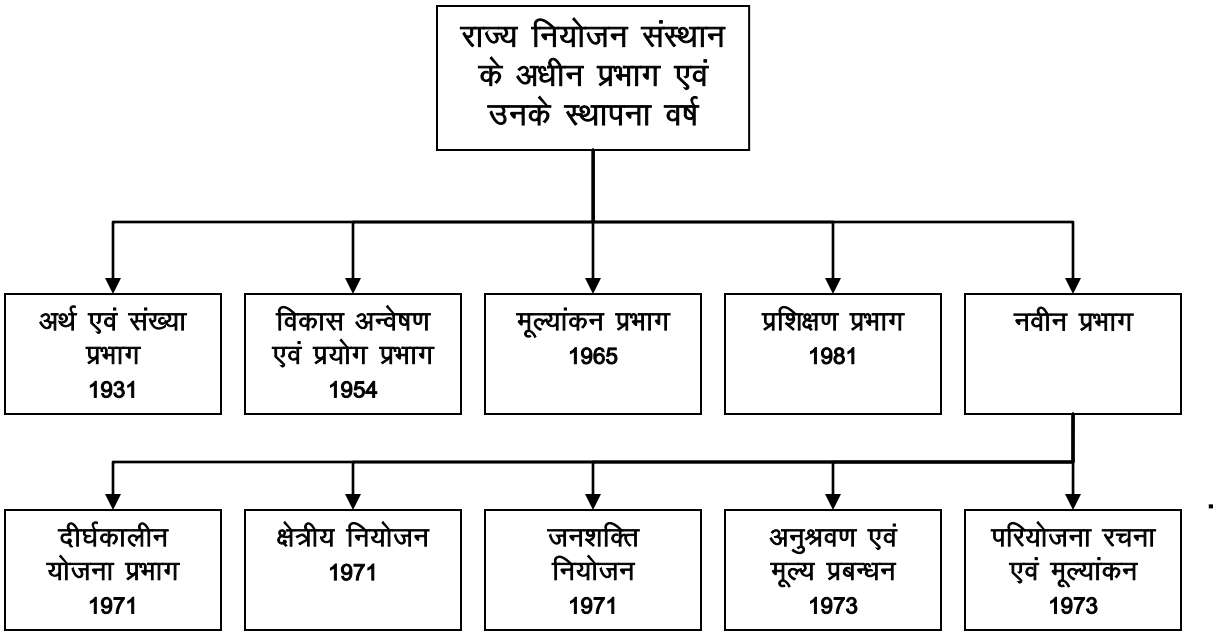

1.0 संक्षिप्त पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 मे मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके उसके अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0के0 रूद्रा (1942–1947) को इसका प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक बनाया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय)) के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

1.1 प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा

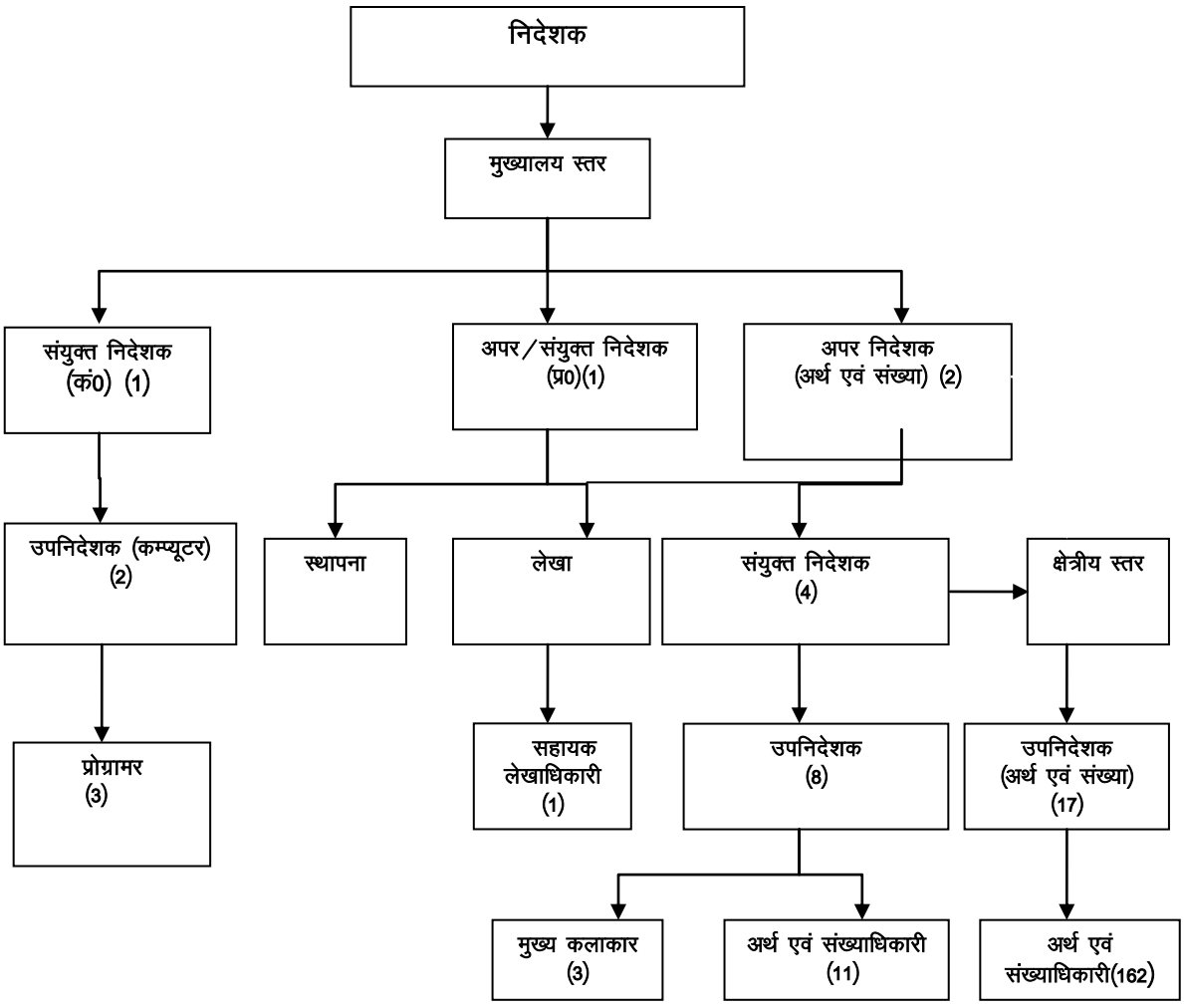

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2016 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
922	689	172 / 9	1918	1058	246 / 22	2840	1747	418 / 31

1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।

II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।

III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।

IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

1.2.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निर्माण।
- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी सूचकांक का निर्माण।

1.2.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।
- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्राम वार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।
- आवास साँख्यिकी के आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत का निर्माण सूचकांक तैयार करना।

उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.2.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद/मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण अनुभाग
3. विश्लेषण अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. उत्पादन सूचकांक अनुभाग
7. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अनुभाग
8. ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग
9. ऊषा अनुभाग
10. Electronic Data Processing (EDP) अनुभाग
11. साफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण अनुभाग
12. ग्राफ अनुभाग
13. SSSP सेल
14. आर्थिक गणना अनुभाग
15. प्रकाशन एंव प्रचार अनुभाग
16. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
17. स्थापना अनुभाग
18. लेखा अनुभाग–1
19. लेखा अनुभाग–2

1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2016)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
	समूह 'क'		
1	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक	37400–67000, 8900	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700	1
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700	2
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600	2
	योग		19
	समूह 'ख'		
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100,5400	11
9	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600	88
10	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600	3
11	सहायक लेखाअधिकारी	9300–34800,4200	1
	प्रोग्रामर	15600–39100,5400	3
	योग		106
	योग राजपत्रित क+ख		125
	समूह 'ग'		
12	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800, 4200	50
13	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800, 4200	3
14	कलाकार	5200–20200, 2800	1
15	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800, 4600	4
16	प्रधान सहायक	9300–34800, 4200	10
17	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800, 4600	5
18	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800, 4200	12
19	आशुलिपिक	5200–20200, 2800	1
20	वरिष्ठ सहायक	5200–20200, 2800	13
21	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200, 2000	28
22	पंच सुपरवाइजर	5200–20200, 2800	1
23	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200, 2400	9
24	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200, 1900	1
25	जीप चालक	5200–20200, 1900	3
	योग		**141**
	समूह 'घ'		
26	मशीन आपरेटर	5200–20200, 1800	1

27	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200, 1800	3
28	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200, 1800	33
	योग		**37**
	महायोग		**303**

1.4.2 प्रभाग के मण्डलीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2016)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600–39100, 6600	1
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400	1
3	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	9300–34800, 4600/4200	1
5	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800, 4600	3
6	आशुलिपिक	5200–20200, 2800	1
7	वरिष्ठ सहायक	5200–20200, 2800	1
8	कनिष्ठ सहायक	5200–20200, 2000	1–2*
9	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200–20200, 2400	1*
10	जीप चालक	5200–20200, 1900	1**
11	चपरासी	5200–20200, 1800	1–3

* मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा फैजाबाद में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

** देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है ।

1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2016)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400	2*
2	वरिष्ठ कलाकार/कलाकार	9300–34800, 4200 5200–20200, 2800	1
3	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800, 4600	4–9**
4	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800, 4200	1–7**
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200, 2800	1–2**
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200, 2000	2#
7	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	–	1##
8	जीप चालक	5200–20200, 1900	1
9	चपरासी	5200–20200, 1800	1–3**

* 5 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैय्या, कानपुर नगर व संत कबीर नगर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1–1 पद सृजित हैं।

** जनपद में कार्य की आवश्यतानुसार पद सृजित हैं।

जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही पद सृजित।

1.4.4 दिनांक 31–03–2016 को प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
समूह 'क'							
1	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक	37400–67000, 8900	1	1	–	–	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700	1	1	–	–	1
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700	2	1	–	–	1
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600	4	4	–	–	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600	1	–	1	–	1
6	उप निदेशक	15600–39100,6600	28	23	4	–	27
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100,6600	2	–	1	–	1
योग			**39**	**30**	**6**	**–**	**36**
समूह 'ख'							
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100,5400	173	101	18	–	119
9	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600	692	366	145	9	520
10	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600	14	10	3	–	13
11	सहायक लेखाअधिकारी	9300–34800,4200	1	1	–	–	1
12	प्रोग्रामर	15600–39100,5400	3	–	–	–	–
योग			**883**	**478**	**166**	**9**	**653**
	योग राजपत्रित क+ख		**922**	**508**	**172**	**9**	**689**
समूह 'ग'							
13	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200	33	24	9	–	33
14	कलाकार	9300–34800,4200	52	3	1	–	4
15	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200	1033	316	89	17	422
16	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600	4	3	1	–	4
17	प्रधान सहायक	9300–34800,4200	10	10	–	–	10

18	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600	5	1	–	–	1
19	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200	12	10	2	–	12
20	आशुलिपिक	5200–20200,2800	18	8	4	–	12
21	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800	171	137	37	–	174
22	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200,2000	202	88	46	1	135
23	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200–20200,2400	7	7	–	–	7
24	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800	1	–	–	–	–
25	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200,2400	9	1	–	–	1
26	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200,1900	1	–	–	–	–
27	जीप चालक	5200–20200,1900	83	39	18	1	58
28	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक		4	–	–	–	–
	योग		1645	647	207	19	873
समूह 'घ'							
29	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800	1	–	–	–	–
30	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200,1800	3	1	1	–	2
31	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800	269	142	38	3	183
योग			**273**	**143**	**39**	**3**	**185**
महायोग			**2840**	**1298**	**418**	**31**	**1747**

1.5 प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 5 कार्यालय – आजमगढ़, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, अलीगढ़ एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में स्थित हैं। शेष 12 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। जबकि 68 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित है।

******

अध्याय –2
राज्य आय अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैंः–

1. राज्य आय अनुमान
2. जिला आय अनुमान
3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
5. सकल स्थायी पूँजी निर्माण
6. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों का आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े
7. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों का आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य

2.1 राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

2.1.1 सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भाव पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। राज्य आय अनुमान का आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94, 1999–2000 तथा 2004–05 रहा है। वर्ष 2014–15 में आधार वर्ष परिवर्तित करते हुए नये आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक के राज्य आय अनुमान तैयार किये गये हैं।
-

2.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 13 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि, प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थानों,

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2001 तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.4 रीति विधायन

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधायन एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

2.1.5 कैलेन्डर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम, संशोधित के वार्षिक तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार प्रदेश में उक्त अनुमानों को तैयार करने हेतु एडवांस रिलीज कैलेन्डर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् हैः–

Advance Release Calendar of Estimates of GSDP

क्र.सं.	आय अनुमान का प्रकार	तैयार करने हेतु निर्धारित तिथि	Time lag	भारत सरकार द्वारा समतुल्य अनुमान को निर्गत करने की तिथि	भारत सरकार में Time lag
1.	Advance Estimates of State Income	15th Feb	One and half month before the year	7 th Feb	2 months before the year
2.	Revised Estimates of State Income	30 th June	3 months	31 st May	2 months
3.	Estimates of	30thSept.	Approx.	31 stAug.	2

	GSDP for Q1 (Apr-June)		3 months		months
4.	Estimates of GSDP for Q2 (July-Sep)	15th Jan.	Approx. 3 and half months	30 th Nov.	2 months
5.	Estimates of GSDP for Q3 (Oct-Dec.)	31st March	Approx. 3 months	28 th Feb.	2 months
6.	Estimates of GSDP for Q4 (Jan-Mar)	15th July	Approx. 3 and half months	31 st May	2 months
7.	Quick Estimates of State Income	* वार्षिक प्रकाशन विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है।	9 months	31 st Jan	10 months

* प्रभाग स्तर पर इन अनुमानों को तैयार करने की अन्तिम तिथि 31, दिसम्बर निर्धारित है।

2.1.6 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2004–05 को वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशन में वांछित आँकड़ों का एकत्रीकरण एवं संग्रहण करके एवं उनके साथ समन्वय एवं मिलान करते हुए कार्य पूर्ण किया गया।
- नये आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार किये गये। अनुमान को तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों की पुष्टि प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की उपसमिति '' क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक (दिनांक 07.01.2016) में करायी गयी। आँकड़ों की पुष्टि के उपरान्त राज्य आय अनुमानों को अन्तिम रूप देकर अनुमानों की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी।
- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/ चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15'' तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2015–2016 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये।

- माह अप्रैल 2015 से जून 2015– प्रथम त्रैमास
- माह जुलाई 2015 से सितम्बर 2015– द्वितीय त्रैमास
- माह अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2015– तृतीय त्रैमास
- माह जनवरी 2016 से मार्च 2016 – चतुर्थ त्रैमास
- वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15'' को एवं राज्य आय अनुमान से सम्बन्धित निर्धारित तालिकाओं को अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर अपलोड कराया गया।

2.1.7 प्रशिक्षण / सेमिनार / वर्कशाप

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय आय अनुमानों की श्रृंखला के आधार वर्ष को वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित करते हुए नये आधार वर्ष पर वर्ष 2013–14 के त्वरित अनुमानों को दिनांक 30.1.2015 को प्रेस विज्ञिप्ति द्वारा निर्गत किया गया। इसी क्रम में राज्य स्तरीय अनुमानों के आधार वर्ष को भी तदानुसार परिवर्तित करने हेतु आवश्यक जानकारी व दिशानिर्देश देने के लिये समस्त राज्यों के सम्बंधित कार्मिकों के लिये केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 7–9 जुलाई, 2015 की अवधि में गोवा में तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निदेशक अर्थ एवं संख्या, उपनिदेशक एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उपरोक्त कार्यशाला में प्रदत्त मार्ग निर्देशन के अनुसार नये आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किए गए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक के तैयार प्रदेश के आय अनुमानों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 17 अगस्त से 21 अगस्त 2015 की अवधि में तुलनात्मक विचार–विमर्श आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश से निदेशक अर्थ एवं संख्या, संयुक्त निदेशक तथा संबन्धित कार्य को देख रहे चार अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 6 से 8 अक्टूबर, 2015 की अवधि में मनाली, हिमांचल प्रदेश में किया गया। प्रदेश से उप निदेशक व तीन अपर सांख्यिकीय अधिकारियों जो संबन्धित कार्य को देखते हैं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2.1.8 मुख्य परिणाम :–

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल आय

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	2011–12 भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	8736039	721396	8.3	8736039	721396	8.3	–	–
2012–13	9951344	812210	8.2	9226879	749404	8.1	5.6	3.9
2013–14	11272764	946508	8.4	9839434	784879	8.0	6.6	4.7
2014–15	12488205	1041997	8.3	10552151	833160	7.9	7.2	6.2
2015–16	13567192	1145234	8.4	11350962	888121	7.8	7.6	6.6

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	63460	31886	50.2	63460	31886	50.2	–	–
2012–13	71050	35358	49.8	65664	32560	49.6	3.5	2.1
2013–14	79412	40790	51.4	68867	33567	48.7	4.9	3.1
2014–15	86879	44197	50.9	72889	35072	48.1	5.8	4.5
2015–16	93231	48584	52.1	77431	37349	48.2	6.2	6.5

नोट : 1. उ0प्र0 के नवीन श्रृंखला आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 के अनन्तिम, 2014–15 के त्वरित व 2015–16 के अग्रिम अनुमान।
2. भारत के नवीन श्रृंखला आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2013–14 तक द्वितीय संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2014–15 के प्रथम संशोधित अनुमान व 2015–16 के अग्रिम अनुमान।

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर)

खण्ड	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.2	27.7	18.3	27.4	17.4	26.0	–	25.9
प्राथमिक	21.7	27.9	21.4	28.5	21.2	28.5	20.0	27.0	19.6	26.7
विनिर्माण	17.4	12.8	17.1	12.3	16.5	11.7	16.1	11.6	16.3	11.8
माध्यमिक	29.3	26.6	28.6	25.3	28.0	24.9	27.4	24.8	27.1	24.8
तृतीयक	49.0	45.5	50.0	46.2	50.8	46.6	52.6	48.2	53.3	48.5
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि ((2011–12 भावों पर)

खण्ड	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन			1.5	5.2	4.2	0.5	–0.2	–2.5	1.1	3.7
प्राथमिक			1.2	5.3	4.0	1.5	1.3	–1.8	2.0	3.6
विनिर्माण			6.0	4.3	5.6	1.9	5.5	6.2	9.5	7.5
माध्यमिक			4.0	0.5	5.3	1.5	5.4	5.1	7.4	5.5
तृतीयक			8.1	5.6	7.8	6.9	10.3	10.8	9.2	8.1
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)			5.4	4.2	6.3	4.0	7.1	5.9	7.3	6.3
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)			5.6	3.9	6.6	4.7	7.2	6.2	7.6	6.6

2.2 जिला आय अनुमान (District Income Estimates)

2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला आय अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

2.2.2 पृष्ठभूमि व रीति विधायन

सर्व प्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ अपलाईड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला आय अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला आय अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस रीति विधायन का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला आय अनुमान अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

2.2.3 आधार वर्ष

जिला आय अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के ही आधार वर्ष के अनुसार रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है तथा आगामी वर्ष में जिला आय अनुमान आधार वर्ष 2011–12 पर निर्गत किये जायेगें।

2.2.4 कैलेन्डर

जिला आय अनुमान दो वर्ष के समय अन्तराल से माह फरवरी के अन्त तक जारी किये जाते हैं। उदाहरणतः वर्ष 2013–14 के जिला आय अनुमान फरवरी 2016 के अन्त में निर्गत किये गये।

2.2.5 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से जनपदवार प्राप्त आँकड़ों का उपयोग कर आाधार वर्ष 2004–05 पर वर्ष 2013–14 के जिला आय अनुमान तैयार किये गये।
- जिला आय अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2.2.6 मुख्य परिणामः

जिला आय अुनमान वर्ष 2013–14 के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं। उच्चतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले प्रथम 5 जनपदों की क्रमानुसार गत तीन वर्षों की स्थिति (रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2013–14		वर्ष 2012–13		वर्ष 2011–12	
1.	गौतमबुद्ध नगर	139244	गौतमबुद्ध नगर	143930	गौतमबुद्ध नगर	123283
2.	आगरा	61081	हापुड़	78103	अमरोहा	49969
3.	मथुरा	57689	संभल	67080	बागपत	49434
4.	मेरठ	56306	आगरा	54104	लखनऊ	48256
5.	बरेली	55782	लखनऊ	53786	मेरठ	47154

न्यूनतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले 5 जनपदों की क्रमानुसार गत तीन वर्षों की स्थिति

(रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2013–14		वर्ष 2012–13		वर्ष 2011–12	
1.	श्रावस्ती	16932	श्रावस्ती	18111	श्रावस्ती	14600
2.	आजमगढ़	20472	आजमगढ़	18614	आजमगढ़	16584
3.	संत कबीर नगर	20669	देवरिया	18662	प्रतापगढ़	16876
4.	कुशी नगर	21270	प्रतापगढ़	18796	जौनपुर	16934
5.	जौनपुर	21276	संत कबीर नगर	18803	देवरिया	17625

2.3 उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

2.3.1 सामान्य परिचय

आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन–देन के लेखा संपरीक्षा संबंधी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।

- आय–व्ययक संबंधी लेन–देन के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमान के विभिन्न मदों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधान के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य संबंधी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के उक्तानुसार समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूंजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग केन्द्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

2.3.3 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2015–16 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2013–14 (वास्तविक), वर्ष 2014–15 (पुनरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2015–16 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2013–14 (वास्तविक) एवं वर्ष 2014–15 (पुनरीक्षित) एवं 2015–16 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन ''उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2015–16'' तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

2.3.4 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण **(लाख रु० में/प्रतिशत)**

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2013–14	पुनरीक्षित अनुमान 2014–15	आय–व्ययक अनुमान 2015–16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**चालू व्यय**	13759429 (77.2)	16882317 (70.0)	19178565 (71.2)
1.1	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	4971313 (27.9)	6275407 (26.0)	7496749 (27.8)

1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	1581154 (8.9)	1777986 (7.4)	2019090 (7.5)
1.3	राज सहायतायें	1203662 (6.7)	1667149 (6.9)	1667813 (6.2)
1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	4811775 (27.0)	6040170 (25.1)	6889201 (25.6)
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1191525 (6.7)	1121605 (4.6)	1105712 (4.1)
2	**पूँजीगत व्यय**	4062490 (22.8)	7224102 (30.0)	7769407 (28.8)
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	2234250 (12.6)	4188696 (17.4)	4424958 (16.4)
2.2	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	–12057 (–0.1)	–49560 (–0.2)	–3110 (–0.0)
2.3	पूँजीगत अन्तरण	185553 (1.0)	613987 (2.5)	480382 (1.8)
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	691543 (3.9)	1309174 (5.4)	1489789 (5.5)
2.5	ऋण एवं अग्रिम	147334 (0.8)	223417 (1.0)	278999 (1.0)
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	815867 (4.6)	938388 (3.9)	1098389 (4.1)
योग		**17821919(100.0)**	**24106419(100.0)**	**26947972(100.0)**

आय–व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण (लाख रु० में/प्रतिशत)

क्र.सं.	**मद**	**वास्तविक** 2013–14	**पुनरीक्षित अनुमान** 2014–15	**आय–व्ययक अनुमान** 2015–16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	3968790 (22.2)	4743496(19.6)	5445415(20.2)
2.	सुरक्षा	82034(0.4)	5039(0.0)	8461(0.0)
3.	शिक्षा	3227177(18.1)	3824295(15.9)	4615494(17.8)
4.	स्वास्थ्य	1008421(5.7)	1858787(7.8)	1909311(7.1)
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	1674745(9.4)	2044630(8.5)	1976008(7.4)
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	904345(5.1)	1375309(5.7)	1755942(6.5)
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	–25621(–0.1)	137655(0.5)	120522(0.5)
8.	आर्थिक सेवायें	4536029(25.4)	7317859(30.4)	7905214(29.3)
9.	अन्य सेवायें	2445999(13.8)	2799349(11.6)	3211605(11.9)
योग		**17821919(100.0)**	**24106419(100.0)**	**26947972(100.0)**

2.4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जो कि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2014–15'' को नये कलेवर में तैयार कर प्रकाशन एवं वितरण कराया गया। इस अंक में विशेष रूप से राज्य की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकीय, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवाक्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया गया। साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है। उक्त प्रकाशन में निम्न कुल 14 अध्यायों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं प्रकाशनों से प्राप्त अद्यतन आँकड़ों को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पत्रिका को www.updes.up.nic.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

- राज्य की अर्थ व्यवस्था
- प्रदेश की विकास की चुनौतियां तथा रणनीति
- लोक निधि
- कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा
- पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
- ग्राम्य विकास के कार्यक्रम
- औद्योगिक प्रगति
- सेवा क्षेत्र
- अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
- शिक्षा
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- समाज कल्याण
- श्रमशक्ति एवं सेवा योजन

2.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))

2.5.1 सामान्य परिचय

अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थ व्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधान के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।

- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।
- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेन्स सीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिका परिषद, समस्त छावनी परिषद, समस्त जल संस्थान, समस्त विकास प्राधिकरण, समस्त जिला पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित एक नगर पंचायत व प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक ग्राम पंचायत के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

2.5.3 कैलेन्डर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। मार्च 2016 में वर्ष 2013–14 के अनुमान निर्गत किये गये।

2.5.4 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2015–16 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2013–14 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2013–14 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।
- अर्थव्यवस्था के समस्त खण्डों के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान तैयार किये गये।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अधिक्षेत्रीय क्षेत्र हेतु प्राप्त अधुनान्त आँकड़ों का प्रयोग कर राज्य हेतु वर्ष 2013–14 के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गये।

2.5.5 मुख्य परिणाम

उ0प्र0 में सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2013–14 (प्रचलित भावों पर)

(लाख रु0 में)

क्र.सं.	खण्ड	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	गत वर्ष 2012–13 से प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृषि एवं पशुपालन	231369	770230	1001599	16.69
2.	वन उद्योग तथालट्ठे बनाना	22793	1139	23932	58.03
3.	मछली उद्योग	72	15	87	58.18
4.	*खनन्* एवं पत्थर निकालना	128	2181	2309	–7.64
5.	विनिर्माण	55843	2857183	2913026	36.08
6.	निर्माण कार्य	1256334	1353280	2609614	32.84
7.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति	689138	28098	717236	107.88
8.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	297946	805780	1103726	–0.22
9.	व्यापार, होटल, जलपान गृह	8484	117155	125639	13.47
10.	बैंक, व्यापार तथा बीमा	66898	37056	103954	–1.23
11.	स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	40313	3552055	3592368	12.89
12.	सार्वजनिक प्रशासन	1918271	0	1918271	21.05
13.	अन्य सेवायें	782707	405605	1188312	34.07
योग		**5370296**	**9929777**	**15300073**	**24.37**

नोट– सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिक्षेत्रीय क्षेत्र के वर्ष 2012–13 के आँकड़ें सम्मिलित है।

2.6.. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े

2.6.1 उद्देश्य

राज्य की अर्थ व्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार सम्बंधी आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

2.6.2 पृष्ठ भूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बंधित सूचना/आंकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2.6.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़े प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों एवं छावनी परिषदों से एकत्र किए जाते है।

2.6.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से सूचना/आँकड़े प्राप्त करने हेतु प्रभाग द्वारा एक संग्रह प्रपत्र निर्धारित किया गया है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त संग्रह प्रपत्र पर स्थानीय निकायों से सूचनायें प्राप्त की जाती है। प्राप्त सूचना को संकलन प्रपत्रों पर भरकर मुख्यालय भेजा जाता है। संकलन तालिकायें निम्न प्रकार है–

- स्थानीय निकायों की आय के आँकड़ों का संकलन प्रपत्र।
- स्थानीय निकायों की व्यय के आँकड़ों का संकलन प्रपत्र।
- स्थानीय निकायों की पूँजी व्यय के आँकड़ों का संकलन प्रपत्र।
- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का संकलन प्रपत्र।

जनपदवार संकलन तालिकाओं को प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2.6.5 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी वर्ष 2014–15 के आँकड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से प्राप्त कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर पत्रिका का प्रकाशन किया गया।
- इसी क्रम में स्थानीय निकायों के वर्ष 2015–16 के आँकड़े समस्त 14 नगर निगमों, 193 नगर पालिका परिषदों, 423 नगर पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 30 विकास प्राधिकरणों, 12 जल संस्थानों तथा (उपशाखा सहित) ग्राम पंचायतों से एकत्र किये गये। जिसका परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य लक्ष्य अनुरुप माह जून, 2017 तक पूर्ण किया जायेगा।

2.6.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2014–15 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1709039.52 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2013–14 में कुल आय 1735070.70 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में आय में लगभग 1.5 प्रतिशत की कमी हुई।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 180580.39 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 426121.62 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1102337.51 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 10.6, 24.9 तथा 64.5 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2013–14 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1492209.48 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2014–15 में 0. 14 प्रतिशत बढ़कर 1494281.90 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में सार्वजनिक निर्माण पर व्यय 46.61 प्रतिशत, विविध व्यय पर 22.57 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 16.85 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 8.29 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 4.69 प्रतिशत, ऋण की अदायगी पर 0.54 प्रतिशत तथा शिक्षा पर व्यय 0.44 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2014–15 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 821252.11 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर पालिका परिषद द्वारा 197946.51 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 24.50 प्रतिशत है। पूँजी निर्माण पर व्यय में 723874.93 लाख रु0 नव निर्माण पर व्यय किया गया जो कि कुल व्यय का 88.14 प्रतिशत था। पूँजी निर्माण पर व्यय में सबसे अधिक व्यय सड़क पुल पुलिया पर 449216.25 लाख रु0, अन्य निर्माण पर 195069.04 लाख रु0, भवन निर्माण पर 149386.59 लाख रु0 तथा औजार मशीन एवं मोटर आदि पर 27580.23 लाख रु0 व्यय किये गये।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2015 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 132055 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 81661 (61.84 प्रतिशत), कर्मचारी स्वच्छता सेवा में 35129 (26.20 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य सेवा में एवं 15265 (11.5 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

2.7 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों का आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य

2.7.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आय, राज्य आय तथा जिला आय अनुमान में स्थानीय निकायों के अंश के आंकलन के लिये स्थानीय निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आर्थिक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

2.7.2 पृष्ठ भूमि

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय–व्ययक (बजट) वर्गीकरण सम्बंधी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

2.7.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (14), नगर पालिका परिषदों (193), जिला पंचायतों (75), विकास प्राधिकरणों (30) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) तथा प्रत्येक जनपद से चयनित एक नगर पंचायत (75), प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक ग्राम पंचायत (822) के आँकड़े एकत्रित कर उसका आर्थिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है। कोष्ठक में वर्ष 2014–15 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है।

2.7.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से आय–व्ययक की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर से कोई पृथक से रुपपत्र निर्धारित नही है, वरन् स्थानीय निकायों द्वारा अपना बजट जिस फार्म पर तैयार किया जाता है उसे फार्म 'ए' कहा जाता है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकाय से फार्म 'ए' पर भरी गयी सूचनाओं की ही प्रति प्राप्त की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत अपना बजट फार्म 'ए' पर तैयार नहीं करती। अतः उसके लिये केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एक रुपपत्र निर्धारित किया गया है, जिस पर सूचना प्राप्त की जा रही है। फार्म 'ए' पर प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित संकलन शीट पर उक्त सूचना संकलित की जाती है। संकलन तालिकायें निम्न प्रकार है–

चालू खाता से सम्बंधित

- स्थानीय निकायों के प्रशासन सम्बंधी व्यय का खाता
- स्थानीय निकायों के प्रशासन सम्बंधी आय का खाता

पूँजी खाता से सम्बंधित

- स्थानीय निकायों के प्रशासन एवं विभागीय उद्यमों का पूँजी निर्माण खाता
- स्थानीय निकायों के प्रशासन एवं विभागीय उद्यमों सम्बंधी प्राप्तियां
- स्थानीय निकायों द्वारा परिसम्पत्तियों के अनुसार पूँजी निर्माण

संकलन तालिकाओं के आधार पर प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

2.7.5 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2014–15 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2014–15 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों का परिनिरीक्षण करके राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार की गयी।

******

अध्याय–3
रा.प्र.स. क्षेत्राधीक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित सामाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। जिनकी उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में ऑकड़े एकत्र करा रहा है।

प्रभाग मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के समस्त कार्य यथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण, ऑकड़ों के विधायन, रिपोर्ट आलेखन व विश्लेषण हेतु मुख्य रूप से निम्नांकित अनुभाग कार्यरत हैं–

1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–क्षेत्राधीक्षण अनुभाग
2- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–विश्लेषण अनुभाग

उपर्युक्त अनुभागों के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण अनुभाग में डेटा इन्ट्री एवं वैलीडेशन सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य सम्पन्न होता है। रा.प्र.स. के आँकड़ों के विधायन एवं सारिणीयन कार्य में ई.डी.पी. अनुभाग द्वारा भी यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त अनुभागों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् हैं–

3.1 रा.प्र.स.–क्षेत्राधीक्षण अनुभाग

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। जिनकी उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्र करा रहा है।
रा.प्र.स. क्षेत्राधीक्षण अनुभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् है–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाइयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वे कार्य का सम्पादन कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र द्वारा आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान भी किया जाता है। रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण भी क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा कराया जाता है।

3.1.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित किये गये मुख्य कार्य–:

- रा.प्र.स. 73वीं आवृत्ति जिसकी विषय वस्तु असमाविष्ट गैर कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर) पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 25 व 26.06.2015 को प्रभाग मुख्यालय पर क्षेत्रीय अधिकारियों को दिया गया। इस आवृत्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1676 इकाइयों में से मार्च 2016

तक तृतीय उपावृत्ति तक की आवंटित 1257 इकाइयों में से 1245 इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण करा लिया गया है। सर्वेक्षित प्रतिदर्श इकाइयों की अनुसूचियों का परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

- रा.प्र.स. 72वीं आवृत्ति (जुलाई 2014 से जून 2015) की आवंटित कुल 1372 इकाइयों का सामाजार्थिक विषय–''घरेलू पर्यटन पर व्यय'' (अनुसूची 21.1) पर सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। उक्त आवृत्ति में सभी जनपदों से संग्रहीत आँकड़ों को वैलीडेट कराकर मँगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- रा.प्र.स. 71वीं आवृत्ति (जनवरी 2014 से जून 2014) में राज्य को आवंटित कुल 994 इकाइयों का विषयवस्तु–**''सामाजिक उपभोगः स्वास्थ्य'' एवं ''सामाजिक उपभोगः शिक्षा''** पर अलग–अलग अनुसूची 25.0 एवं 25.2 में कुल 994 इकाइयों में से 916 इकाइयों के संग्रहीत आँकड़ों को वैलीडेट कराकर मँगा लिया गया है तथा शेष 78 इकाइयों के आँकड़ों को पूर्ण त्रुटिरहित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

- रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति के अन्तर्गत जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 की अवधि में विषयवस्तु–**''कृषक परिवारों की भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता'', ''कृषक परिवारों की स्थिति'' व ''कृषक परिवारों की _ण एवं निवेश''** पर क्रमशः अनुसूची 18.1, अनुसूची 33 एवं अनुसूची 18.2 में कुल आवंटित 974 इकाइयों का छः माह के अन्तराल पर दो गमनों में सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। इस आवृत्ति में समस्त इकाइयों के अनुसूचीवार आँकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्य हेतु उपलब्ध करा दिया गया।

- रा.प्र.स. 69वीं आवृत्ति के अन्तर्गत जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 की अवधि में विषयवस्तु–**'' झुग्गी बस्तियों के विवरण'' तथा ''पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, आवासीय स्थिति''** पर क्रमशः अनुसूची 0.21 व अनुसूची 1.2 द्वारा कुल आवंटित 983 इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। तत्पश्चात् इस आवृत्ति में अनुसूचीवार आँकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया।

- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति के अन्तर्गत जुलाई 2011 से जून 2012 तक की अवधि में विषयवस्तु **''पारिवारिक उपभोक्ता व्यय'' व ''रोजगार एवं बेरोजगारी''** पर क्रमशः अनुसूची 1.0 (प्रारुपः टाइप–1,टाइप–2) व अनुसूची 10 द्वारा कुल आवंटित 1128 इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। इस आवृत्ति में समस्त इकाइयों का अनुसूचीवार आँकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया तथा विषय–पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की अनुसूची 1.0 (प्रारुपःटाइप–1)के वैलीडेटेड आँकड़ों पर सारिणीयन कार्य किया गया।

- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति के अन्तर्गत जुलाई 2010 से जून 2011 तक की अवधि में विषयवस्तु–**''असमाविष्ट गैर कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर)** पर अनुसूची 2.34 द्वारा कुल आवंटित 1672 इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। इस आवृत्ति में समस्त इकाइयों का अनुसूचीवार आँकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया।

3.2 रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग

रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग का पूर्व नाम हस्तसारिणीकरण अनुभाग था, जिसमें रा.प्र.स. के एकत्रित आँकड़ों का मैनुअली सारिणीयन कार्य किया जाता था। वर्ष 2001 में हस्तसारिणीकरण अनुभाग को रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग के नाम से नामित किया गया। उक्त के साथ–साथ वर्ष 2001 में ही

समसामायिक विषयों पर यथावश्यक तदर्थ सर्वेक्षणों हेतु विभागीय सर्वेक्षण अनुभाग बनाया गया, जिसे जुलाई 2010 में विश्लेषण अनुभाग में संविलीन कर दिया गया। सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यो को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग को व आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य का दायित्व रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग को सौंप दिया गया।

रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् है–

प्रभाग मुख्यालय पर रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन तथा रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का दायित्व निर्धारित है। रा.प्र.स के अन्तर्गत एकत्रित किये जाने वाले आँकड़े भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित विषय वस्तु पर एकत्रित किये जाते हैं। आँकड़ों के उत्थापन हेतु संगणन विधि तथा सारिणीयन हेतु सारिणीयन कार्यक्रम के प्रारूप एवं प्रकार एस.डी.आर.डी. कोलकाता से उपलब्ध होता है तथा तद्नुसार प्रभाग मुख्यालय के विश्लेषण अनुभाग में कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग, भारत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान निकालने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–प्वाइन्ट्स के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुमान निकालने का कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। पावर्टी एवं सोशल मॉनीटरिंग परियोजना के अन्तर्गत एकत्रित किये गये आँकड़ों के विधायन, विश्लेषण व रिपोर्ट आलेखन का कार्य भी इसी अनुभाग द्वारा वर्तमान में सम्पादित किया जाता है। रा.प्र.स. के आँकड़ों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य स्टेटस पेपर भी समय–समय पर तैयार किया जाता है।

3.2.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति की अनु. 2.34 पर आधारित तैयार तालिकाओं की जाँच तथा उस पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में असमाविष्ट गैर–कृषि (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों की प्रचालनात्मक एवं आर्थिक विशेषताएँ (जुलाई 2010–जून 2011)' का आलेखन कार्य
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 10 पर आधारित तालिकाओं की जाँच तथा उस पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)' का आलेखन कार्य
- शासन के निर्देशानुसार ग्राम सैफई, जनपद इटावा, उ0प्र0 में एक समाजार्थिक सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया। उक्त सर्वेक्षण हेतु अनुसूचियाँ, अनुदेश, सारिणीयन कार्यक्रम तथा सर्वेक्षणोपरान्त रिपोर्ट आलेखन तथा रिपोर्ट का पी.पी.टी प्रजेन्टेशन तैयार करने का कार्य किया गया।
- भारत सरकार की एस.एस.एस योजना के अन्तर्गत पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण जनवरी–दिसम्बर 2016 के मध्य कराये जाने हेतु अनुसूचियों तथा अनुदेशों को तैयार करना, सर्वेक्षण हेतु नामित सर्वेक्षकों तथा पर्यवेक्षकों हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का कार्य किया गया। उ0प्र0 राज्य हेतु कुल 2432 इकाईयाँ चयनित हुई। उक्त आवंटन जनगणना 2011 के आधार पर एस.डी.आर.डी., कोलकाता, रा.प्र.स. कार्यालय,

भारत सरकार के सहयोग से कराया गया। प्रथम उपावृत्ति जिसकी सर्वेक्षण अवधि जनवरी–मार्च, 2016 थी, तक 536 प्रथम चरण इकाईयों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया।

3.2.2 वर्ष 2011–12 से 2014–15 के मध्य कराये गये उल्लेखनीय कार्य

वर्ष 2011–12 से 2014–15 के मध्य रा.प्र.स. सर्वेक्षणों, पी.एस.एम.एस एवं अन्य तदर्थ सर्वेक्षणों पर आधरित निम्नांकित रिपोर्ट प्रकाशित कराने का कार्य सम्पन्न हुआ :–

- रा.प्र.स. 65वीं आवृत्ति की अनु. 0.21 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में नगरीय झुग्गी बस्तियों की स्थिति : (जुलाई 2008–जून 2009)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 65वीं आवृत्ति की अनु. 1.2 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में आवासीय स्थिति'' जुलाई 2008–जून 2009' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 65वीं आवृत्ति की अनु. 21.1 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में घरेलू यात्रा'' जुलाई 2008–जून 2009' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–1) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय एवं पौष्टिक अन्तर्ग्रहण (जुलाई 2009–जून 2010)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–2) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की स्थिति (जुलाई 2009–जून 2010)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनु. 10 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में रोजगार–बेरोजगारी की स्थितिः जुलाई 2009–जून 2010 (जुलाई 2009–जून 2010)' का प्रकाशन
- Monitoring Poverty in Uttar Pradesh A Report on the Fourth Poverty and Social Monitoring Survey (PSMS-IV) का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति की अनु. 0.0 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में अनिगमित गैर–कृषि उद्यम एवं ग्रामीण सुविधाएँ (जुलाई 2010–जून 2011)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 0.0 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में परिवार एवं व्यक्ति (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–1) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय एवं पौष्टिक अन्तर्ग्रहण (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–2) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 69वीं आवृत्ति की अनु. 0.0 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में परिवार एवं व्यक्ति (जुलाई 2012–दिसम्बर 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति के केन्द्र तथा राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट 'REPORT ON POOLING OF CENTRAL AND STATE SAMPLE DATA OF NSS 66th ROUND (July 2009 - June 2010)' तैयार कर प्रकाशित करायी गयी।

3.2.3 उत्तर प्रदेश में पावर्टी एण्ड सोशल मानीटरिंग सर्वेक्षण (पी.एस.एम.एस)

उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के रहन सहन की स्थिति के आँकलन हेतु पावर्टी एण्ड सोशल मानीटरिंग सर्वेक्षण सर्वप्रथम वर्ष 1999 में विश्व बैंक की सहायता से सम्पन्न हुआ। उक्त हेतु पृथक से 'निर्धनता मापांक' अनुसूची 99 का निर्माण किया गया।

रा.प्र.स. की 55वीं आवृत्ति (जुलाई 1999–जून 2000) की पारिवारिक उपभोक्ता व्यय अनुसूची से सम्बद्ध कर प्रथम बार पी.एस.एम.एस सम्पन्न हुआ। तदोपरान्त वर्ष 2002–03 व 2007–08 तथा वर्ष 2009–10 में यथावश्यक अनुसूची 99 में संशोधन कर रा.प्र.स. की संगत अनुसूचियों से सम्बद्ध कर सर्वेक्षण सम्पन्न कराये गये। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पावर्टी सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्ट गत वर्षों में प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा चतुर्थ सर्वेक्षण (पी.एस.एम.एस–IV) जो रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति (जुलाई 2009–जून 2010) से सम्बद्ध कर हुआ था, पर आधारित रिपोर्ट – **'मॉनीटरिंग पावर्टी इन उत्तर प्रदेश– ए रिपोर्ट ऑन दि फोर्थ पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वे (पी.एस.एम.एस–IV) 2009–10'** वर्ष 2014–15 में प्रकाशित की गयी है।

3.2.4 मॉनीटरिंग पावर्टी इन उत्तर प्रदेश– ए रिपोर्ट ऑन दि फोर्थ पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वे (पी.एस.एम.एस–IV)–2009–10 : मुख्य निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में चतुर्थ पावर्टी मॉनीटरिंग सर्वेक्षण रा.प्र.स. की 66वीं आवृत्ति (जुलाई 2009–जून 2010) की पारिवारिक उपभोक्ता व्यय व रोजगार–बेरोजगार से सम्बन्धित अनुसूची से सम्बद्ध कर सम्पन्न हुआ था। यह सर्वेक्षण राज्य के 2252 प्रतिदर्श इकाईयों (1478 ग्रामीण व 774 नगरीय) व 36030 प्रतिदर्श परिवारों (23648 ग्रामीण व 12382 नगरीय) में पूछताछ कर सम्पन्न हुआ, जिसमें 198471 प्रतिदर्श व्यक्ति आवृत्त हुए। उक्त सर्वेक्षण पर आधारित मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित हैं–

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय वर्ष 2004–05 से 2009–10 के प्रथम दशमांश में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 10वें दशमांश में यह वृद्धि 64 प्रतिशत परिलक्षित हुई।
- वर्ष 2004–05 में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति, जो 40.9 प्रतिशत थे, वे वर्ष 2009–10 में घटकर 37.9 प्रतिशत रह गये।
- राज्य में 7 वर्ष व अधिक की जनसंख्या में शिक्षा का स्तर 2002–03 में जो 59.7 प्रतिशत था, वर्ष 2009–10 में बढ़कर 67.3 प्रतिशत हो गया है।
- राज्य में महिलाओं का शिक्षा का स्तर वर्ष 2002–03 में जो 46.4 प्रतिशत था, वह वर्ष 2009–10 में बढ़कर 56.8 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर 56.3 प्रतिशत (2002–03) से बढ़कर 64.9 प्रतिशत (2009–10) व नगरीय क्षेत्र में उसी सन्दर्भ अवधि में शिक्षा का स्तर 73.0 प्रतिशत से बढ़कर 77.0 प्रतिशत हो गया।
- अपेक्षाकृत गरीब महिलाओं के शिक्षा स्तर में अन्य की अपेक्षा बढ़ोत्तरी अधिक दृष्टिगोचर हुई।
- आयुवर्ग 6–10 वर्ष के बच्चों में जो नामांकन दर वर्ष 2003 में 78 प्रतिशत था, वह वर्ष 2010 में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया।

- आयुवर्ग 6–10 वर्ष के बच्चों में वर्ष 2007–08 में जो ड्रॉप आउट रेट 3.4 प्रतिशत था वह वर्ष 2009–10 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गया। यह ड्रॉप आउट रेट आयुवर्ग 11–15 वर्ष के बच्चों में वर्ष 2007–08 में जो 4.1 प्रतिशत था वह वर्ष 2009–10 में इस आयुवर्ग के बच्चों हेतु बढ़कर 5.7 प्रतिशत ही रह गया।
- सन्दर्भ अवधि में कभी भी स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत घटा।
- राज्य के जिन छात्रों को मिड–डे मील प्रदान कराये गये उनमें से 40 प्रतिशत बच्चों द्वारा मिड–डे मील को पसन्द किया गया। यह मिड–डे मील नगरीय छात्रों की अपेक्षा ग्रामीण छात्रों द्वारा ज्यादा पसन्द किया गया।
- सरकार द्वारा छात्रों को दी जा रही विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो वर्ष 2008 में 29.2 प्रतिशत बच्चों को प्राप्त होती थी, वह वर्ष 2010 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गयी। छात्रवृत्तियाँ ग्रामीण बच्चों को नगरीय बच्चों की अपेक्षा अधिक संख्या में प्राप्त हुईं।
- राज्य में शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 1999 में 84 प्रति हजार थी, वह घटकर वर्ष 2011 में 57 रह गयी।
- राज्य में मातृ मृत्यु दर जो वर्ष 1999 से वर्ष 2001 में 539 थी, वह घटकर वर्ष 2007–09 में 309 रह गयी।
- जननी सुरक्षा योजना से लाभान्वित महिलाएं वर्ष 2007–08 में 8.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 24.1 प्रतिशत पायी गयी।
- सन्दर्भ अवधि में 15–49 वर्ष की महिलाओं में गत 5 वर्षों के भीतर ''अपने पिछले बच्चे के जन्मने का स्थान अपना घर'' सम्बन्धी महिलाओं का प्रतिशत ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में घटा।
- वर्ष 2002–03 से 2009–10 की अवधि में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के अन्तर्गत बच्चा जन्मने की प्रवृत्ति ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में बढ़ी।
- वर्ष 1999–2000 से 2009–10 की अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाने वाले 0–6 वर्ष के बच्चों में से पूरक पोषक आहार प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा।
- आवसीय संरचना में सुधार वर्ष 2002–03 में 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 65 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- वर्ष 2009–10 में मात्र 14 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा जॉब कार्ड प्राप्त होना पाया गया।
- राज्य में वर्ष 2009–10 में 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तथा 70 प्रतिशत नगरीय परिवारों के पास राशन कार्ड होना पाया गया।
- राज्य के 21.2 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल कार्डधारक थे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में मात्र 6.9 प्रतिशत परिवार थे।
- राज्य के 5.6 प्रतिशत परिवार ऐसे अनुमानित हुए जो सरकार द्वारा संचालित लाभपरक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किये थे, जो वर्ष 2007–08 से अधिक अनुमानित हुए।

3.2.5 रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति के केन्द्र तथा राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट 'REPORT ON POOLING OF CENTRAL AND STATE SAMPLE DATA OF NSS 66th ROUND (July 2009 - June 2010)'

Introduction

Uttar Pradesh state has been participating in the NSS surveys from 9th round onwards by using the same concepts, definitions and procedures and by adopting the same sample design based on independently drawn sample as that of NSSO called as the state samples. The sample size of the state sample in Uttar Pradesh was double to that of central samples for 66th round. The sample list of the state sample was drawn and supplied by the NSSO. The report based on pooled estimates of Central and State sample data of NSS 66th round was released in March, 2015.

Objective

One of the objectives of states participation in the NSS programme is to provide a mechanism by which sample size will be increased and the pooling of the two sets of data would enable better estimates at lower sub state level, particularly at district level. This resulted in increased precision of the estimates at disaggregated level. But the major benefit will be derived in the case of estimates are generated at sub-state level like NSS regions/districts.

Subject coverage

The NSS 66th round survey was the eight survey of the quinquennial series of Household Consumer Expenditure and Employment-Unemployment.

Methodology of pooling

Two alternate methods are used in pooling the central and state sample data.

(a) Weighting by Matching ratio: Building aggregate estimate of pooled sample in proportion matching ratio m : n of central and state sample aggregate estimate where m and n are the allotted sample for central and state sample separately for rural and urban sector. Building ratio estimate of pooled sample as ratio of aggregate estimates.

(b) Weighting by inverse of variance: Ratio estimates are built by weighting the ratio estimate of central and state sample in proportion to inverse of variance of ratio of the central and state sample.

Parameters considered for pooling

Considering the smaller sample size at district level following broad parameters were considered for pooling.

a) MPCE of FOOD, Non-FOOD, and Total MPCE derived from detail item for URP, MRP and MMRP

b) Household size, sex ratio

c) Activity status principal, subsidiary, weekly, daily and their intensity

Sample Size of Uttar Pradesh

The sample size for the rural sector of Central sample was 740 for both Type-1 and Type-2 of schedule 1.0 and 739 for schedule 10 and for State sample was 1480 for schedule 1.0 Type-1 and Type-2 and schedule 10.

The sample size for the urban sector of Central sample was 388 for both Type-1 and Type-2 of schedule 1.0 and 387 for schedule 10 and for State sample was 776 for schedule 1.0 Type-1 and Type-2 and schedule 10.

Gains in Pooling

Gains in pooling have been observed in terms of reduction in RSEs (relative standard error) of pooled estimates, both of state and district levels. The RSEs of estimates of MPCE (URP, MRP, MMRP) for both rural and urban sectors of districts are within 20% for pooled samples except for 3-4 districts out of 70 districts of the state. The RSEs of the estimates of WPR and LFPR for both rural and urban parts of district are within 10 % for pooled sample except for 1-5 districts out of 70 districts of state.

3.2.6 परिवार/उद्यम सर्वेक्षण–2015 (ग्राम–सैफई, जनपद–इटावा)

शासन के पत्र 21 मु.स./31–2015–32/2015 दिनांक 02.09.2015 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में ग्राम सैफई, विकास खण्ड–सैफई, जनपद–इटावा के परिवारों के आर्थिक कार्यकलापों का एक सर्वेक्षण दिनांक 10.09.2015 से 19.09.2015 की अवधि में अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा के पर्यवेक्षण में उनके कार्यालय एवं निकटवर्ती जनपदों में तैनात विभागीय कार्मिकों के सहयोग से सम्पन्न हुआ। उक्त सर्वेक्षण में ग्राम सैफई के रहने वाले परिवारों द्वारा धारित भूमि, आय, मासिक उपभोक्ता व्यय, परिवार के व्यवसाय, परिसम्पत्तियाँ, परिवार प्ररूप व विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप में कार्यरत परिवार के सदस्यों का विवरण, परिवार के पास कृषि/गैर–कृषि उद्यम, आय, आवासीय स्थिति, सरकारी कार्यक्रमों से विगत 3 वर्ष में लाभान्वित परिवार के साथ–साथ ग्राम में कार्यरत विभिन्न कृषि/गैर–कृषि उद्यमों के उद्यम प्रचालन एवं पृष्ठभूमि विवरण के अतिरिक्त उद्यमों की आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु आँकड़े एकत्र किये गये। ग्राम सैफई के परिवारों के आर्थिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण में ग्राम सैफई के रहने वाले केवल उन परिवारों को ही सम्मिलित किया गया था, जो वहाँ के सामान्यतः मूल निवासी थे अर्थात् उन समस्त परिवारों को सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया, जो अन्य ग्राम/स्थान के निवासी थे तथा वे अपने किसी कार्यकलाप के कारण गाँव में रहते थे। उदाहरणार्थ, ग्राम में स्थित विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत (अन्य ग्रामों/स्थानों के) कर्मियों से सम्बन्धित परिवार, शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में रहने वाले छात्र। सर्वेक्षण में उक्त प्रकार का आच्छादन होने के कारण सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम सैफई में परिवारों व व्यक्तियों की संख्या जनगणना–2011 के सापेक्ष कम पायी गयी।

जनगणना–2011 के अनुसार ग्राम में 1481 परिवार व 7141 व्यक्ति थे, जबकि इस सर्वेक्षण में 938 परिवार तथा 5087 व्यक्ति ही पाये गये। उक्त के अतिरिक्त ग्राम के मूल परिवारों से सम्बन्धित 375 व्यक्ति अपने कार्यकलाप/अन्य कारणों से ग्राम से बाहर सामान्यतः निवास करते पाये गये। उद्यमों के मामले में सैफई ग्राम में अवस्थित समस्त उद्यमों को इस सर्वेक्षण में आच्छादित किया गया था, चाहे वे सैफई ग्राम के मूल निवासियों द्वारा संचालित किये जा रहे थे अथवा किसी अन्य किसी ग्राम/स्थान के व्यक्तियों द्वारा। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सम्मिलित नहीं किया गया। सर्वेक्षण कार्य के लिये प्रयुक्त अनुसूचियों (पारिवारिक प्रश्नावली एवं उद्यम सर्वेक्षण) के माध्यम से निर्धारित मदों की एकत्रित सूचना के आधार पर सर्वेक्षण का सारांश निम्नानुसार हैं :–

परिवार एवं व्यक्ति

- सर्वेक्षण के आधार पर ग्राम सैफई में कुल 938 परिवार पाये गये जिनमें से सर्वाधिक दो तिहाई (68.5 प्रतिशत) परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 23.9 प्रतिशत अनु. जाति/जनजाति के थे।
- सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम की कुल आबादी 5087 पायी गयी। यद्यपि सर्वेक्षण में लिंगानुसार सूचना एकत्रित नहीं की गयी थी, परन्तु जनगणना–2011 के लिंगानुपात के अनुसार ग्राम में महिलाओं की आबादी 2297 अनुमानित है।
- ग्राम में औसत परिवार आकार 5.4 था जबकि अनु. जाति/जनजाति के परिवारों का औसत परिवार आकार 5.6 पाया गया।
- ग्राम के उपर्युक्त परिवारों में से मूलतः 375 व्यक्ति ग्राम से बाहर रहते पाये गये।
- ग्राम में कुल 1347 व्यक्ति (26.5 प्रतिशत) विभिन्न प्रकार से रोजगारयुक्त पाये गये, जिनमें से 23 व्यक्ति पारिवारिक उद्यम नियोक्ता के रूप में कार्यरत थे, जबकि 458 व्यक्ति पारिवारिक उद्यम में स्व–कार्यरत कामगार थे।
- ग्राम के कुल व्यक्तियों में से 359 व्यक्ति (7.05 प्रतिशत) बेरोजगार पाये गये, जबकि 3381 (66. 46 प्रतिशत) व्यक्ति श्रमशक्ति में नहीं (out of labour force) थे।
- ग्राम में 34 प्रतिशत परिवार 0.05 हे0 से कम धारित भूमि वाले थे, जबकि उक्त प्रतिशत अनु. जाति/जनजाति के मामले में 56.7 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु केवल 28.1 प्रतिशत था।
- ग्राम में कृषि में स्व–नियेाजित 309 परिवारों में से 223 परिवारों (72.2 प्रतिशत) के पास कुल धारित भूमि 1.0 हे0 से कम पायी गयी।
- ग्राम में 68.55 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के थे, जिनमें से 37 प्रतिशत परिवार कृषि में स्व–नियोजित थे, जबकि ग्राम में कृषि में स्व–नियोजित कुल परिवारों के 77 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के पाये गये।
- ग्राम में परिवारों का औसत प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय रूपये 2757.05 पाया गया, जबकि अनु. जाति/जनजाति के लिये यह औसत रू. 1681.83 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये यह रू. 3217.88 था।
- ग्राम में परिवारों का औसत प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय रूपये 2757.05 का 53.42 प्रतिशत उपभोक्ता व्यय मात्र खाद्य पदार्थों पर ही किया जा रहा है।
- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय को बढ़ते हुए क्रम में रखकर ग्राम की कुल जनसंख्या को तीन समान भागों में बाँटकर तीन वर्ग क्रमशः गरीब, मध्य तथा उच्च व्यय वर्ग बनाये गये।

वर्गवार मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय क्रमशः रू. 1151.51, रू. 2099.85 एवं रू. 5026.22 था।

- ग्राम के परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय रू. 2757.05 पाया गया, जो नियमित मजदूरी/वेतनभोगी (सरकारी) परिवार प्ररूप हेतु सर्वाधिक रू. 3934.21 तथा न्यूनतम कृषि में आकस्मिक श्रमिक परिवारों हेतु रू. 1576.78 पाया गया।
- कुल 938 परिवारों में से 275 (29.32 प्रतिशत) परिवारों का मुख्य व्यवसाय कुशल कृषि व मत्स्य कर्मी व 114 (12.15 प्रतिशत) परिवारों का व्यवसाय क्लर्क का था।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के 643 परिवारों में से 100 (15.5 प्रतिशत) परिवारों का मुख्य व्यवसाय क्लर्क से सम्बन्धित व 209 (32.5 प्रतिशत) परिवार कुशल कृषि व मत्स्य कर्मी वर्ग में वर्गीकृत पाये गये।
- अनु. जाति/जनजाति के 224 परिवारों में से 37 (16.52 प्रतिशत) परिवारण्
- कुशल कृषि व मत्स्य कर्मी वर्ग में वर्गीकृत पाये गये।
- कुल 938 परिवारों में से 206 (21.96 प्रतिशत) परिवार किसी न किसी प्रकार के ऋण लिये हुए पाये गये।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के 129 परिवारों में से 76 (58.91 प्रतिशत) परिवार तथा अनु. जाति/जनजाति वर्ग के 67 परिवारों में से 21 (31.34 प्रतिशत) परिवार बैंक से ऋण लिये हुए पाये गये।
- ग्राम के कुल 938 परिवारों में रहने वाले 5087 व्यक्तियों में से 1347 व्यक्ति रोजगार में लगे पाये गये। रोजगार में लगे व्यक्तियों में से सर्वाधिक 472 व्यक्ति मध्य व्यय वर्ग के व न्यूनतम 432 गरीब व्यय वर्ग के थे।
- कुल 938 परिवारों में से 98 परिवारों के पास गैर–कृषि उद्यम पाये गये। उक्त 98 गैर–कृषि उद्यम वाले परिवारों में से सर्वाधित 73 परिवार अन्य पिछड़े वर्ग के तथा 11 परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के थे।
- कुल 938 परिवारों द्वारा आय की पर्याप्तता पर टिप्पणी की गयी। जिनमें से 379 (40.4 प्रतिशत) परिवारों द्वारा अपनी आय को पर्याप्त बताया गया। अवशेष परिवार अपनी पारिवारिक आय से असंतुष्ट थे, जबकि 320 परिवारों ने विगत 3 वर्षों के आधार पर परिवार की आर्थिक स्थिति में वृद्धि स्वीकार की।
- ग्राम के परिवारों द्वारा पारिवारिक खर्चों हेतु औसत रूप से रू. 19909.66 प्रति परिवार की आय प्रति माह आवश्यक बताई गयी, जबकि सर्वेक्षण के माध्यम से परिवार द्वारा अर्जित मासिक आय का औसत रू. 14821 आगणित हुआ।
- कुल 938 परिवारों में से मात्र 34 परिवार के सदस्यों द्वारा तकनीकी शिक्षा ग्रहण किया जाना पाया गया। जिनमें से सर्वाधिक 30 परिवार उच्च व्यय वर्ग से सम्बन्धित थे।
- ग्राम में 6 परिवार के सदस्यों द्वारा कोई स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की गयी है। जिनमें से सर्वाधिक 1 परिवार गरीब व्यय वर्ग से सम्बन्धित थे। 6 परिवारों में से 5 परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा 1 परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के थे।
- कुल 938 परिवारों में से 841 (89.65 प्रतिशत) परिवारों के आवास इकाई की संरचना पक्का पाया गया तथा 541 (57.67 प्रतिशत) परिवारों के आवासीय परिसर में शौचालय की सुविधा थी।

- कुल 938 परिवारों में से 123 परिवारों का पेयजल का स्रोत नल तथा 274 परिवारों के मामले में हैण्डपम्प संसूचित हुआ।
- ग्राम में 189 (20.15 प्रतिशत) परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित पाये गये।

उद्यम

- ग्राम सैफई में विभिन्न प्रकार के कुल 577 उद्यम संचालित थे।
- समस्त 577 उद्यमों से 438 स्वकार्यरत उद्यम (75.91 प्रतिशत) व 139 अधिष्ठान उद्यम पाये गये। अधिष्ठान उद्यम (Establishment) में कम से कम एक भाड़े (Hired) का श्रमिक अवश्य होगा, जबकि स्वकार्यरत उद्यम (Own Account Enterprise) में कोई भाड़े का श्रमिक कार्यरत नहीं होगा।
- समस्त 577 उद्यमों में से 230 (40 प्रतिशत) उद्यमों के संचालक ग्राम सैफई के निवासी थे।
- कुल 577 उद्यमों में से 521 उद्यमों (90.29 प्रतिशत) मालिकाना स्वामित्व (Proprietary) वाले पाये गये। कुल स्वकार्यरत 438 उद्यमों में से 428 उद्यम मालिकाना स्वामित्व वाले थे।
- कुल 577 उद्यमों में से 560 उद्यम बारहमासी, 15 मौसमी तथा मात्र 2 उद्यम आकस्मिक प्रकृति के थे।
- कुल 577 उद्यमों में से मात्र 65 उद्यम घरेलू परिसर के भीतर अवस्थित थे तथा 273 उद्यम स्थायी संरचना (घरेलू परिसर के बाहर) सहित पाये गये।
- कुल 577 उद्यमों में से 249 (43.15 प्रतिशत) ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते पाये गये, जिनमें से 168 उद्यमों द्वारा विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा था।
- ग्राम में 83 (14.38 प्रतिशत) उद्यम ऐसे पाये गये जिनमें कम्प्यूटर/इण्टरनेट का प्रयोग किया जा रहा था।
- कुल 577 उद्यमों में से 447 उद्यमों (77.46 प्रतिशत) का किसी भी प्रकार का पंजीकरण नहीं था।
- कुल 577 उद्यमों में 2837 कर्मकर कार्यरत पाये गये। जिनमें से 639 परिवार के सदस्य थे तथा 2198 (77.48 प्रतिशत) भाड़े के कर्मकर थे। भाड़े के कर्मकर के अन्तर्गत ग्राम के निवासी एवं ग्राम के बाहर के निवासी सम्मिलित थे।
- विभिन्न वृहद कार्यकलापों में लगे उद्यमों के संचालन में कुल रू. 11344.87 लाख पूँजी विनियोजित पायी गयी, जबकि प्रति उद्यम औसत पूँजी रू. 19.76 लाख पायी गयी।
- कुल 577 उद्यमों में से मात्र 62 (10.7 प्रतिशत) उद्यम ऋणग्रस्त पाये गये, जिनमें से मात्र 13 उद्यमियों द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया गया।
- ग्राम में कार्यरत उद्यमों का औसत वार्षिक टर्नओवर 105.20 लाख पाया गया।
- ग्राम में कार्यरत 577 उद्यमों से मात्र 394 उद्यमों (68.28 प्रतिशत) द्वारा उद्यम से प्राप्त आय से संतुष्टि बतायी गयी, जिनमें से 283 स्वकार्यरत उद्यम थे।

******

अध्याय–4

डेटा बैंक अनुभाग

डेटा बैंक अनुभाग द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से विकासोन्मुख द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उ0प्र0 एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रकाशित किये जाते हैं। यह सभी प्रकाशन प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधार भूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्रामों से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधार पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्टकापी में संरक्षित करना हैं। समय समय पर शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक प्रदेश को विधान मण्डल में मान नीय सदस्यों को वितरित किया जाता है।

सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 साँख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 10 उपसमितियाँ हैं। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से सांख्यिकीय आँकड़ें प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है ताकि किसी भी स्तर पर आँकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय बना रहे।

4.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य–

सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रतिवर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 25 अध्यायों के अन्तर्गत 150 तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में 12 ग्राफ/चार्ट्स भी दिये जाते हैं। इस प्रकाशन में अधुनान्त दो वर्षो के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से विगत पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की भी सूचनाऐं प्रकाशित की जाती हैं।

सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है। वर्ष 2015–16 में साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2015 (हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रकाशित की जा चुकी है।

उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उ0प्र0 के तुलनात्मक संकेतक

प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 17 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 50 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर वर्ष 2009 से प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2015–16 में उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में), 2015 (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रकाशित की जा चुकी है।

जिलेवार विकास संकेतक, उ0प्र0

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' कर दिया गया है तथा प्रकाशन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही विगत वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 40 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिन्हित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है । वर्ष 2015–16 में जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक साँख्यिकी, आर्थिक साँख्यिकी एवं अन्य साँख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी आँकड़ों का समावेश किया जाता है। वर्ष 2015–16 में साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 19 प्रमुख राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के साँख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2014 प्रकाशित किये जा चुके हैं।

जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़ें एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2015 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें इण्टरनेट पर उपलब्ध है। वर्ष 2015–16 में जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2015 मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अर्न्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थ– व्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2015–16 में जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2015 मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह एक वार्षिक प्रकाशन है। इसमें चार अध्यायों के अर्न्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका, 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में भी 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्योकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थ–व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने के एवं साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या आर्थिक स्थिति, कृषि, सिचाईं, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, समाजिक सेवाये, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है। वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड की विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

ग्रामवार आधार भूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (साँ.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गयाा। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है जिसके खण्ड–1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की

स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर जिला साँख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से ग्रामों की दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2/39(3)–नियोजन विभाग (क) दिनांकः लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। 10 उपसमितियाँ निम्न हैं।

1–भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता
8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
9–सांख्यिकीय डायरी
10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

4.2 वर्ष 2011–12 से 2014–15 के उल्लेखनीय कार्य

स्थानीय स्तर पर विकास हेतु प्राथमिक सॉख्यिकी–पाइलेट सर्वेक्षण (Basic Statistics for Local Level Development - BSLLD)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के सामाजिक साँख्यिकीय प्रभाग, की अपेक्षानुसार जनपद लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्र में पाइलेट सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया, जिसमें ग्राम स्तरीय सूचनायें, अनुसूची ''ए'' में प्रमुख रूप से ग्राम में प्राथमिक सुविधाओं की उपलब्धता, परिसम्पत्तियों की उपलब्धता, निकटतम् सुविधा से दूरी, जनांककीय सूचना, रूग्णता, शिक्षा, भूमि उपयोगिता, पशुधन एवं कुक्कुट, भण्डारण एवं विपणन तथा ग्रामीणों के रोजगार की स्थिति तथा अनुसूची ''बी'' में जनांककीय सूचनायें, रूग्णता, विकलांगता, परिवार नियोजन, प्रवास अन्य सामाजिक संकेतक तथा उद्योग एवं व्यापार आदि हैं।

इसी प्रकार जनपद बाराबंकी में नगरीय क्षेत्र में पाइलेट सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया जिसमें नगरीय सूचनायें प्रमुख रूप से, अनुसूची ''ए'' में मलिन बस्तियों में प्राथमिक सुविधाओं की स्थिति , निकटतम् सुविधा से दूरी, जनांककीय सूचनायें , रूग्णता ,स्वास्थ्य शिक्षा, पशुधन एवं कुकुक्ट, रोजगार की स्थिति अन्य सामाजिक संकेतक , जल की उपलब्धता , उद्योग एवं व्यापार, सम्बन्धी सूचनायें है । तथा अनुसूची ''बी'' में भूमि उपयोगिता, प्रवास, प्राकृतिक विपदा , जल प्रबन्धन, सीवर, यातायात एवं संचार, पर्यावरण व स्थानीय निकायों के आय–व्यय की सूचना है ।

******

अध्याय–5
भाव अनुभाग

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण, संग्रहण तथा भाव सम्बन्धी सांख्यिकी एवं नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग के भाव अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भाव अनुभाग के कार्यों को समान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **भाव व मजदूरी दरों के संग्रह का कार्य**
2. **भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य**

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संग्रह का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ साथ वर्तमान भाव/दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी की दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

5.1 भाव एवं मजदूरी दरों के संग्रह का कार्यः–

(i) ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

(ii) नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

(iii) नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित अड्डों से संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार किये जाने में किया जाता है।

(iv) ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह भारत सरकार को भी प्रेषित की जाती हैं।

(v) थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- प्रदेश की 65 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार),
- 48 मण्डियों के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव ,
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।

  कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी मॉग के अनुरूप भेजा जाता है।

(vi) 62 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मंगाये जाते हैं। इन भावों में से 47 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

(vii) भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पॉच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना । नये आधार वर्ष परिवर्तन हेतु गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए अन्य शेष केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना ।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 20 केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किया जाना।
- लखनऊ केन्द्र के 16 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के भाव संग्रह कराकर शासन को प्रेषित किया जाना
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर कृषि विभाग को प्रेषित किया जाना
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर इलायची बोर्ड, गंगटोक को प्रेषित किया जाना
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (इलाहाबाद, जौनपुर, संत रविदासनगर, झांसी, रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर पशुपालन निदेशालय को प्रेषित किया जाना
- श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण किया जाना

5.2 भाव व मजदूरी की दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

(i) उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित किया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया है। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक माह हेतु तैयार कराया जा रहा है।

(ii) ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है । सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया । पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58, 1970–71 किया गया । उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया है। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से लगातार 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक माह हेतु तैयार कराया जा रहा है।

(iii) थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1948 के आधार पर जनवरी 1948 से तैयार कराया गया । पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58, 1970–71 किया गया । अब इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया है। आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकाँक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल 2010 से नियमित रूप से किया जा रहा है।

(iv) ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकाँक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक को लिया गया है जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को लिया गया है।

(v) कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकाँक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया बाद में आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तथा तत्पश्चात वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.3 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

5.3.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया :–

- प्रदेश के 65 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक व फुटकर भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया ।

- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के संदर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से कृषीय 19 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में से कृषीय/ अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के नगरीय फुटकर भाव प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराकर मुख्यालय पर रखरखाव किया गया।
- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस के कृषीय/अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराकर रखरखाव किया गया ।
- राज्य स्तर पर भाव प्रवृत्ति के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 62 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाएँ तैयार कर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) एवं प्रमुख सचिव नियोजन, विशेष सचिव नियोजन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्यकर विभाग को प्रेषित की गई ।

5.3.2. भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

- अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 87 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 57 खाद्य एवं 40 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार व अन्तिम शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये।
- लखनऊ जनपद मुख्यालय से 16 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भावों का संग्रह एवं संकलन कराने के उपरान्त तुलनात्मक भावान्तर विवरण मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन को भेजे गये।
- हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के कार्यालय को भेजे गये ।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये ।
- प्रदेश के पॉच केन्द्रों यथा वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, झॉसी तथा रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।

5.3.3 मजदूरी दरें

1. प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के ऑकड़ें नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आँकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित ऑकड़ें आर्थिक एवं सॉख्यिकीय सलाहकार भारत सरकार को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये ।

2. प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार की अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.4 प्रकाशित सूचकांक

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	244.86	248.88	262.27	273.49
2.ईंधन व प्रकाश	256.75	259.77	267.32	285.77
3.आवास	314.07	318.19	331.71	344.83
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	208.90	216.61	218.52	221.97
5.विविध	184.14	186.75	189.26	191.83
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	225.83	228.67	236.08	244.30
मध्य क्षेत्र	227.22	231.43	240.14	250.94
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	242.72	246.45	255.54	264.13
पूर्वी क्षेत्र	231.84	236.49	247.44	257.18
उत्तर प्रदेश	229.53	233.39	242.66	251.91

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	248.68	254.19	269.37	277.26
2.ईंधन व प्रकाश	162.99	169.92	179.62	178.98
3.आवास	248.29	248.97	254.10	255.56
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	210.97	214.61	219.13	222.96
5.विविध	185.10	187.66	189.54	189.87

क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	216.51	217.45	226.60	229.50
मध्य क्षेत्र	208.68	218.83	228.01	230.55
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	226.59	228.52	234.46	239.73
पूर्वी क्षेत्र	221.55	228.16	237.45	248.01
उत्तर प्रदेश	215.97	220.34	229.41	233.37

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2015 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 का औसत सूचकांक**
समस्त	194.61	199.66	203.42	206.02
प्राथमिक	242.32	256.68	266.45	271.87
ईंधन व प्रकाश	183.14	198.18	194.83	195.27
विर्निमित	182.71	184.67	187.29	189.27

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)					
	क्षेत्रवार राज्य	**त्रैमासान्त मार्च 2015 का सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2015 का सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2015 का सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 का सूचकांक**
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) राज	292.50	297.07	297.54	297.85
	(ii) बढ़ई	288.42	296.15	298.88	300.76
	(iii) कृषि श्रमिक	347.83	348.89	351.59	352.78
2	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) राज	286.24	301.52	316.49	327.32
	(ii) बढ़ई	295.66	309.43	315.19	327.83
	(iii) कृषि श्रमिक	314.83	337.02	363.31	354.09
3	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) राज	303.38	311.50	312.38	319.18
	(ii) बढ़ई	308.39	313.65	311.21	312.21

	(iii) कृषि श्रमिक	337.10	344.16	374.71	358.38
4	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) राज	296.96	305.21	310.23	315.99
	(ii) बढ़ई	289.78	302.08	308.43	311.84
	(iii) कृषि श्रमिक	306.70	320.30	327.61	332.84
5	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) राज	302.18	309.71	313.64	317.59
	(ii) बढ़ई	290.78	300.97	305.30	308.95
	(iii) कृषि श्रमिक	330.43	339.63	349.06	349.27

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)

	क्षेत्रवार राज्य	**त्रैमासान्त मार्च 2015 का सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2015 का सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2015 का सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 का सूचकांक**
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) राज	298.02	306.63	310.64	312.74
	(ii) बढ़ई	286.74	293.01	298.29	305.48
	(iii) अकुशल श्रमिक	355.17	360.40	370.82	374.54
2	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) राज	317.00	328.47	331.16	332.19
	(ii) बढ़ई	318.04	327.09	329.40	332.78
	(iii) अकुशल श्रमिक	394.51	394.82	397.03	396.72
3	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) राज	320.47	326.96	331.10	338.31
	(ii) बढ़ई	345.33	346.12	349.28	357.60
	(iii) अकुशल श्रमिक	403.95	411.09	413.96	417.56
4	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) राज	302.90	311.22	317.17	323.01
	(ii) बढ़ई	276.24	285.05	290.31	295.08
	(iii) अकुशल श्रमिक	367.02	377.16	379.10	394.05
5	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) राज	303.89	312.90	316.92	319.63
	(ii) बढ़ई	292.96	299.91	304.57	310.76
	(iii) अकुशल श्रमिक	368.78	373.99	380.55	385.56

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक
(आधार वर्ष 2004–05)

क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा प्राप्त किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2012-13	199.62	197.58	101.03
2	2013-14	227.36	219.84	103.42
3	2014-15	243.72	226.29	107.70

******

अध्याय–6
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:–

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)–मासिक एवं वार्षिक
2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)
3. वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)

6.1.1 सामान्य परिचय

- औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी एवं विश्लेषण हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण कराया जाता है किन्तु सर्वेक्षण एवं उसके उपरान्त आँकड़ों का परिनिरीक्षण, संगणन कर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगने वाले अपेक्षाकृत अधिक समय को देखते हुए तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं औद्योगिक विकास की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक त्वरित सूचक है।

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधारवर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।

- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रगति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य के उपयोग किये जाने वाले मदों में होने वाले परिवर्तन का आकलन किया जाता है।

6.1.2 राज्य स्तरीय सूचकांक–पृष्ठभूमि व कैलेन्डर

राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1976 से प्रारम्भ की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह उपरान्त एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

6.1.3 आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रासांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधारवर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधारवर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधारवर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधारवर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2013 से आधारवर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

- राज्य स्तर पर उपयोग आधारित सूचकांक वर्ष 2011–12 में आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

6.1.4 सूचकांक की खण्डीय संरचना

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत सरकार की ही भांति औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एन.आई.सी. 2004 के कोड पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

खण्ड	भार	कुल मदों की संख्या
विनिर्माण	740.10	149
खनन	110.16	4
ऊर्जा	149.74	1
योग	1000.00	154

6.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)

विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है। जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।

- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक एन.आई.सी. 2004 कोड पर आधारित है।
- सूचकांक से संबंधित भारण आरेख एवं मदतालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	मद	भार	कुल मदों की संख्या
i	आधारभूत वस्तुऐं	483.80	21
ii	पूँजीगत वस्तुऐं	46.65	17
iii	मध्यवर्ती वस्तुऐं	126.77	42
iv	कुल उपभोग की वस्तुऐं	342.78	71
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुऐं	70.60	27
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुऐं	272.18	44
योग		1000	151

6.2.1 प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत

सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति,भारत सरकार
चीनी,खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0

विनिर्माण खण्ड	चयनित 820 कारखानों से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15 दिन के पश्चात जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

6.2.2 रीति विधायन

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये रीति विधायन का प्रयोग किया जाता है।

6.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण एवं मूल्य पर आधारित है।

- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया, वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

6.4 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- 2014–15 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत निम्न 12 मास के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं उपयोग आधारित सूचकांक तैयार किये गये।

  माह फरवरी 2015 (त्वरित) माह जनवरी 15 (अनन्तिम),मार्च 15 (त्वरित) फरवरी 15 (अनन्तिम) माह अप्रैल 15 (त्वरित) माह मार्च15 (अनन्तिम), माह मई 15 (त्वरित)माह अप्रैल 15 (अनन्तिम),माह जून15 (त्वरित) माह मई 15 (अनन्तिम), माह जुलाई15 (त्वरित) माह जून 15 (अनन्तिम), माह अगस्त 15 (त्वरित) माह जुलाई 15 (अनन्तिम), माह सितम्बर 15 (त्वरित) माह अगस्त 15 (अनन्तिम), माह अक्टूबर 15 (त्वरित) माह सितम्बर 15 (अनन्तिम), माह नवम्बर 15 (त्वरित) माह अक्टूबर 15 (अनन्तिम), माह दिसम्बर 15(त्वरित) माह नवम्बर 15 (अनन्तिम), माह जनवरी 16 (त्वरित) माह दिसम्बर 15(अनन्तिम), माह फरवरी 2016 (त्वरित)

- 2014–15 का वार्षिक उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत निम्न 12 मास के उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं उपयोग आधारित सूचकांक तैयार किये गये।

  माह फरवरी 2015 (त्वरित) माह जनवरी 15 (अनन्तिम),मार्च 15 (त्वरित) फरवरी 15 (अनन्तिम) माह अप्रैल 15 (त्वरित) माह मार्च15 (अनन्तिम), माह मई 15 (त्वरित)माह अप्रैल 15 (अनन्तिम),माह जून15 (त्वरित) माह मई 15 (अनन्तिम), माह जुलाई15 (त्वरित) माह जून 15 (अनन्तिम), माह अगस्त 15 (त्वरित) माह जुलाई 15 (अनन्तिम), माह सितम्बर 15 (त्वरित) माह अगस्त 15 (अनन्तिम), माह अक्टूबर 15 (त्वरित) माह सितम्बर 15 (अनन्तिम), माह नवम्बर 15 (त्वरित) माह अक्टूबर 15 (अनन्तिम), माह दिसम्बर 15(त्वरित) माह नवम्बर 15 (अनन्तिम), माह जनवरी 16 (त्वरित) माह दिसम्बर 15(अनन्तिम), माह फरवरी 2016 (त्वरित)

- वर्ष 2012–13 का अंतिम वर्ष 2013–14 अनन्तिम एवं वर्ष 2014–15 का त्वरित कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य तैयार किया गया।
-

6.5. मुख्य परिणाम

मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (अन्तिम)

सेक्टर	अप्रैल 14	मई 14	जून 14	जुलाई 14	अगस्त14	सितम्बर14	अक्टूबर 14	नवम्बर14	दिसम्बर14	जनवरी 15	फरवरी 15	मार्च 15
विनिर्माण	139.49	124.87	118.61	118.20	115.87	119.56	119.03	119.30	146.66	149.75	157.43	156.23
खनन	103.38	87.59	87.59	75.50	83.25	77.13	89.54	89.12	89.10	101.59	100.90	115.71
ऊर्जा	545.67	568.57	560.94	552.39	506.42	501.09	526.79	531.67	550.09	578.90	497.47	500.28
सामान्य	196.33	187.20	181.43	178.53	170.76	172.02	176.84	177.72	200.73	208.71	202.12	203.28

वार्षिक सूचकांक

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	% वृद्धि वर्ष 2013–14 से वर्ष 2014–15
विनिर्माण	131.25	132.08	0.63
खनन	84.62	91.71	3.34
ऊर्जा	534.72	534.91	0.04
सामान्य सूचकांक	186.53	187.95	0.76

माहवार उपयोग आधारित सूचकांक

Category	अप्रैल 14	मई 14	जून 14	जुलाई 14	अगस्त 14	सितम्बर 14	अक्टूबर 14	नवम्बर 14	दिसम्बर 14	जनवरी 15	फरवरी 15	मार्च 15
आधारभूत वस्तुऐं	237.47	237.66	234.85	235.26	220.25	216.67	226.64	224.25	231.97	246.11	291.16	221.57
पूँजीगत वस्तुऐं	114.30	123.96	130.56	119.14	114.79	140.17	133.09	145.17	127.64	130.06	136.71	109.37
मध्यवर्ती वस्तुऐं	118.83	133.24	141.96	148.69	140.08	143.00	138.27	144.13	106.91	109.21	151.54	147.48
कुल उपभोग की वस्तुऐं	178.11	144.55	127.55	117.59	119.88	124.05	126.77	128.91	201.42	203.42	205.70	206.39
टिकाऊ उपभोग की	238.93	185.81	164.72	157.02	167.26	194.39	179.99	171.57	169.52	191.38	203.77	177.02

वस्तुऐं												
गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुऐं	162.33	133.84	117.90	107.36	107.59	105.81	112.96	117.85	209.69	206.54	206.20	214.01
सामान्य सूचकांक	196.33	187.20	181.43	178.53	170.76	172.02	176.84	177.72	200.73	208.71	202.12	201.74

वर्ष 2014–15
उपयोग आधारित वार्षिक सूचकांक
वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15

Used based Category	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	गत वर्ष के सापेक्ष % वृद्धि
आधारभूत वस्तुऐं	235.12	229.28	–2.48
पूँजीगत वस्तुऐं	124.06	127.08	2.43
मध्यवर्ती वस्तुऐं	135.32	135.25	–0.05
टिकाऊ उपभोग की वस्तुऐं	119.84	183.45	53.08
गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुऐं	152.03	150.17	–1.22
कुल उपभोग की वस्तुऐं	145.40	157.03	8.00
सामान्य सूचकांक	186.53	187.95	0.76

कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण (volume)

प्रमुख मद	**वर्ष 2012–13(अंतिम)**	**वर्ष 2013–14(अनन्तिम)**	**वर्ष 2014–15(त्वरित)**	**वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2013–14**	**वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2014–15**
अनाज	125.46	121.89	103.14	–2.85	–15.38
दाल	97.45	70.78	60.22	–27.37	–14.92
फल एवं सब्जी	119.11	114.90	124.56	–3.53	8.41
गन्ना	90.48	81.48	85.59	–9.95	5.04
तिलहन	131.71	87.64	78.27	–33.46	–10.69
सामान्य सूचकांक	124.82	121.92	115.41	–2.32	–5.34

कृषि उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	**वर्ष 2012–13 (अंतिम)**	**वर्ष 2013–14 (अनन्तिम)**	**वर्ष 2014–15 (त्वरित)**	**वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2013–14**	**वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2014–15**
अनाज	257.29	264.82	238.50	2.93	–9.94
दाल	227.45	165.65	175.80	–27.17	6.13
फल एवं सब्जी	218.55	237.04	299.05	8.46	26.16
गन्ना	212.14	212.12	217.07	–0.01	2.33
तिलहन	280.91	195.54	180.44	–30.39	–7.72
सामान्य सूचकांक	236.62	246.53	247.01	4.19	0.19

6.6 वर्ष 2011–12 से 2014–15 के मध्य कराये गये उल्लेखनीय कार्य

- माह अप्रैल 2013 से नये आधारवर्ष 2004–05=100 पर नियमित रूप से सूचकांक बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया साथ ही साथ नये आधारवर्ष पर वर्ष 2011–12, 2012–13 का माहवार/वार्षिक सूचकांक भी तैयार किया गया।
- राज्य में प्रथम बार उपयोग आधारित सूचकांक तैयार किया गया है। माह अप्रैल 2014 से नये आधारवर्ष 2004–05=100 पर नियमित रूप से उपयोग आधारित सूचकांक बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया। साथ ही नये आधारवर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 का माहवार/वार्षिक सूचकांक तैयार किया गया।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधारवर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। नये आधारवर्ष 2011–12 के संदर्भ में मद तालिका एवं भारण आरेख तैयार करके केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराया गया।

6.7 कार्यशाला

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलनात्मक श्रृंखला तैयार करने तथा आधारवर्ष को वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित करने हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं उत्तरी राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 22 व 23 जुलाई 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई। उक्त कार्याशाला में पंजाब,राजस्थान,हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर,दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश राज्य से डा0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा, उप निदेशक, श्रीमती पूनम त्रिपाठी तथा श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव, अपर सांख्यिकीय अधिकारी ने प्रतिभाग किया।

******

अध्याय–7
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सांख्यिकीय संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली 1959 के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा–2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत कारखानों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। यह सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूप पत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

7.1 मुख्य उद्देश्य एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आंकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आकलित करना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों तथा बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाईसेन्सिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता हैं।

7.2 अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आंकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

7.3 चयन प्रक्रिया

निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के फ्रेम को गणना व गैर गणना क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जिन कारखानों में 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत है तथा वें कारखाने जो संयुक्त रिर्टन भरते है वे गणना कारखानों की श्रेणी में आते है। गणना क्षेत्र के कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा गैर गणना क्षेत्र के कारखानों में से भारत सरकार हेतु चयन करने के उपरान्त अवशेष कारखानो (Residual Frame) में से राज्य के सर्वेक्षण के लिये कारखानों का चयन किया जाता है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2012–13 से प्रतिदर्श चयन, नये प्रतिदर्श अभिकल्प (New Sampling Design) के रुप में किया गया। नई प्रतिदर्श अभिकल्प के ढॉचे का निर्माण जिला स्तर पर 4 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण– 2008 पर किया गया। इसके अनुसार औद्योगिक इकाइयों के फ्रेम में से गणना क्षेत्र के कारखानों के चयन के बाद अवशेष गैर गणना कारखानों में से केन्द्र व राज्य सर्वेक्षण हेतु समान रुप से 4 प्रतिदर्श चयन किये जाते है। पहले व तीसरे प्रतिदर्श का सर्वेक्षण भारत सरकार एवं दूसरे व चौथे प्रतिदर्श का सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया गया।

7.4 सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें– देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जाते है।

7.5 उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी कोड) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में एन.आई.सी कोड 2008 का प्रयोग किया जा रहा है ।

7.6 सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी हुई राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों को नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफटवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायको को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अर्न्तगत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़ कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य हास, शुद्व आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

7.7 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2011–12** के केन्द्रीय आँकड़े भारत सरकार से प्राप्त करके उन्हें राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के साथ आमेलित करते हुए निर्धारित गुणक से 63 मदीय सूचना के विवरण व सारणीयन प्रोग्राम के अनुरुप आँकड़ों को उत्थापित करके आँकडों पर आधारित 4 अध्यायों, 3 परिशिष्टों, अध्याय 3 में 37 तालिकाओं, 17 ग्राफ अध्याय 4 में 20 तालिकाओं, 7 ग्राफ एवं 6 सारणियों तथा आवश्यक रेखाचित्रों सहित कतिपय नवीनताओं तथा परिवर्तनों/परिवर्द्धनों के साथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2012–13** के राज्य प्रतिदर्श के अवशेष 737 कारखानों के परिनिरीक्षण के सापेक्ष 737 कारखानों के आँकड़ों को एम0एस0आई0एस0 online data entry module पर डेटा इन्ट्री कराकर समस्त कारखानों के आँकड़ों को सबमिट कराया गया तथा 737 कारखानों के आँकड़ों की प्राथमिक जांच के उपरान्त accept किया गया। उक्त के अतिरिक्त वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2012–13 के केन्द्रीय आँकड़ों को भारत सरकार से प्राप्त करके राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के साथ आमेलित करते हुए गुणक निर्धारण तथा सारणीयन के कार्य से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही को पूर्ण किया गया।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2013–14** के राज्य प्रतिदर्श के 2956 कारखानों के आवंटन के सापेक्ष समस्त 1706 कारखानों के आँकड़ों का सर्वेक्षण एवं 2761 का परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण कराया गया ।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2014–15** के 3339 प्रतिदर्श कारखानों की सूची, अनुदेश, अनुसूची आदि भारत सरकार से प्राप्त करके उन्हें क्षेत्रों में वितरित कराकर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

7.8 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2011–12 के मुख्य निष्कर्ष

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2011–12 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे में कुल 13935 कारखाने पंजीकृत रहे जिसमें 1529 कारखाने गणना के तथा 2083 कारखानें केन्द्रीय प्रतिदर्श हेतु चयनित थे । उक्त समस्त 3612 कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया। राज्य प्रतिदर्श हेतु सर्वेक्षण के लिए 3392 कारखाने चयनित किये गये।
- प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे के अनुसार कुल 13935 पंजीकृत कारखानों में से पश्चिमी क्षेत्र में 9704 कारखाने, केन्द्रीय क्षेत्र में 2623 कारखाने, पूर्वी क्षेत्र में 1468 कारखाने तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 140 कारखाने पंजीकृत पाये गये।
- NIC-2 अंकीय कोड के अनुसार सबसे अधिक 14.10 प्रतिशत अंश के साथ 1965 कारखाने खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में पंजीकृत पाये गये। अन्य अधात्विक एवं खनिज उत्पादों के विनिर्माण (NIC-23) एवं फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण (मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त) (NIC-25) में क्रमशः 1266 (9.09 प्रतिशत) व 1164 (8.35 प्रतिशत) कारखानों का पंजीयन दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा।
- केन्द्र व राज्य के लिये चयनित व सर्वेक्षित 7004 कारखानों के सापेक्ष 5522 कारखाने कार्यरत पाये गये। उक्त के आधार पर राज्य में कुल 1055 कार्यरत कारखानें अनुमानित हुए।
- प्रदेश के समस्त उद्योगों में कुल आगत 2914006461 हजाऱ रूपये, निर्गत 3513241513 हजाऱ रूपये, सकल आवर्धित मूल्य 599235053 हजाऱ रूपये, मूल्य ह्रास 72602547 हजाऱ रूपये तथा शुद्ध आवर्धित मूल्य 526632506 हजाऱ रूपये रहा।
- आगत व निर्गत मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में क्रमशः 22.0 व 19.9 प्रतिशत रहा। शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक 14.9 प्रतिशत का योगदान मोटर वाहन व मोटर साइकिलों का थोक एवं फुटकर व्यापार की मरम्मत (NIC-45) में रहा।
- शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से मोटर वाहन व मोटर साइकिलों का थोक एवं फुटकर व्यापार की मरम्मत (NIC-45) में 78219786 हजाऱ रूपये (14.9 प्रतिशत) के साथ प्रथम स्थान पर, 55120048 हजाऱ रूपये (10.5 प्रतिशत) के साथ रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) द्वितीय स्थान पर तथा 42951413 हजाऱ (8.2 प्रतिशत) खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में तृतीय स्थान पर रहा।
- राज्य के पंजीकृत कार्यरत कारखानों में कुल 624236 कर्मिक कार्यरत रहे जिसमें से सर्वाधिक 107998 (17.3 प्रतिशत) कर्मी खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में नियोजित रहे, तत्पश्चात पहनने के कपड़ों का विनिर्माण (NIC-14) में 9.9 प्रतिशत तथा फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी तथा उपस्कर (NIC-25) में 8.7 प्रतिशत कर्मियों का नियोजन रहा। NIC कोड **36, 38, 58, 59, 74, 82, 95 व 96** में कर्मियों के नियोजन का प्रतिशत नगण्य पाया गया।
- राज्य में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक परिलब्धि 171.85 हजार रूपये पाया गया, जो कोक एवं पेट्रोलियम शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) हेतु सर्वाधिक 1047.65 हजार रूपये तथा न्यूनतम भण्डारण एवं सहयोगी क्रियाकलाप हेतु यातायात (NIC-52) हेतु 77.29 हजार रूपये पाया गया।
- प्रदेश के उद्योगों में **कुल ईंधन** उपभोग की दृष्टि से मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में सर्वाधिक 40277453 हजार रूपये तथा पानी का संग्रहण, शुद्धीकरण तथा आपूर्ति (NIC-36) में न्यूनतम् 1860 हजार रूपये कुल ईंधन का उपभोग किया गया। **कोयले का** सर्वाधिक उपभोग, मूल धातुओं का

विनिर्माण (NIC-24) में 6183122 हजार रूपये एवं न्यूनतम् उपभोग अन्य परिवहन उपस्कर का विनिर्माण (NIC-30) में 106 हजार रूपये का किया गया। **विद्युत का** सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 26473131 हजार रूपये तथा न्यूनतम पानी का संग्रहण, शुद्धीकरण, आपूर्ति (NIC-36) में 1209 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **पेट्रोलियम पदार्थो का** सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 5432675 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवायें (NIC-74) में 513 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **गैस का** सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 10585062 हजार रूपये तथा न्यूनतम् मशीनरी उपस्कर का स्थापन एवं मरम्मत (NIC-33) में 294 हजार रूपये का उपभोग किया गया। इसी प्रकार **अन्य ईंधन का** सर्वाधिक उपभोग खाद्य उत्पादों का विनिर्माण (NIC-10) में 3974961 हजार रूपये तथा न्यूनतम् मशीनरी उपस्कर का स्थापन एवं मरम्मत (NIC-33) में 19 हजार रूपये का उपभोग किया गया।

- प्रदेश में कुल 72602547 हजार रूपये के मूल्य ह्रास में सबसे अधिक खाद्य प्रदार्थों के विनिर्माण (NIC-10) में 14063985 हजार रूपये तथा सबसे कम जल संचयन, शुद्धीकरण एवं आपूर्ति (NIC-36) में 686 हजार रूपये मूल्य ह्रास पाया गया।
- प्रदेश में 1463186736 हजार रूपये पूँजी का विनियोजन किया गया जिसमें खाद्य पदार्थों के विनिर्माण (NIC-10) में सर्वाधिक 401371701 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कियायें (NIC-74) में 5074 हजार रूपये का पूँजी विनियोजन रहा।

महत्वपूर्ण मानक मदों का गत वर्ष के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण

(मूल्य हजार रूपये में)

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	विनियोजित पूँजी	1281297538	1463186736	14.20
2	उपभुक्त सामग्री	1956255912	2417984536	23.60
3	कुल आगत	2397682543	2914006461	21.53
4	कुल निर्गत	2980341528	3513241513	17.88
5	उत्पादन का मूल्य	2334006821	2823186578	20.96
6	सकल आवर्धित मूल्य [GVA]	582658985	599235053	2.84
7	मूल्य ह्रास	71385336	72602547	1.71
8	शुद्ध आवर्धित मूल्य [NVA]	511273649	526632506	3.00
9	कर्मी	605425	624236	3.11
10	कुल कर्मी	777675	816163	4.95
11	परिलब्धि कर्मी	47665360	52847865	10.87
12	कुल परिलब्धियॉ कर्मी	126441264	140254635	10.92
13	अनुमानित कारखाने संख्या में)	10215	10555	3.33

******

अध्याय–8
ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग

8.0 पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम यथा– अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर **"सामुदायिक विकास अनुभाग"** गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137/38–2–335/79 दिनांक 25.9.1981 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अचंलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार होता है जिसमें प्रदेश के निम्न 30 विभागों के 267 मदों के आँकड़ें एकत्र किये जाते है –

कृषि विभाग –

1. भूमि संरक्षण
2. मृदा परीक्षण
3. गुणात्मक बीज वितरण
4. रासायनिक उर्वरक वितरण
5. जैव उर्वरक वितरण
6. सूक्ष्म पोषक तत्व
7. कृषि प्रदर्शन
8. कृषि रक्षा कार्यक्रम–रसायन वितरण
9. कृषि यंत्र वितरण
10. स्प्रिंकलर सेट वितरण
11. फसली ऋण वितरण

सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.)

1. भौतिक प्रगति

वन

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
2. अग्रिम मृदा कार्य (एडवांस स्वायल वर्क)
3. नर्सरी में पौध उत्पादन
4. सृजित रोजगार

उद्यान एवं फल उपयोग

1. पौधों का वितरण
2. आलू के उत्तम बीज का वितरण
3. सब्जी बीज वितरण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. मौन पालन

पशुपालन

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर उन्नतिशील साड़ों से गर्भित किये गये पशु

3. रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं/पक्षियों को लगाये गये टीके
4. रोगी पशुओं की चिकित्सा

दुग्ध विकास

1. आपरेशन फ्लड–2 योजना
2. नान आपरेशन फ्लड योजना
3. सघन मिनी डेरी योजना
4. महिला डेरी परियोजना

मत्स्य

1. अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय
2. अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालकों एवं ग्राम पंचायतों को वितरण
3. ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे
4. तालाबों का सुधार
5. विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन

निजी लघु सिंचाई

1. व्यक्तिगत कार्य
2. बोंरिग

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

1. भवन निर्माण
2. खडंजा निर्माण
3. पुलिया निर्माण
4. पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1. नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

खादी एवं ग्रामोद्योग

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. लाभान्वित व्यक्ति
3. वितरित ऋण
4. रोजगार सृजन

वस्त्रोद्योग (हथकरघा)

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. रोजगार सृजन

रेशम उद्योग

1. शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना
2. कुल पालित कीटाण्ड
3. कुल कोया उत्पादन
4. उत्पादित रेशम धागा की मात्रा
5. कीट पालकों की संख्या
6. कीट पालकों को वितरित ऋण

सहकारिता

1. सदस्यता में वृद्धि
2. अंशदान में वृद्धि
3. निक्षेप संचय

4. अल्प कालीन ऋण वितरण
5. मध्यकालीन ऋण वितरण
6. दीर्घकालीन ऋण वितरण
7. सरकारी देयों की वसूली
8. दीर्घ कालीन ऋण वसूली
9. निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारित रोगी
2. प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
3. नसबन्दी

शिक्षा

1. विद्यालय भवन निर्माण
2. अनौपचारिक शिक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता

1. पंचायत उद्योग
2. पंचायत कर वसूली
3. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
4. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्यों पर कुल व्यय
5. पेयजल सुविधा
6. पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम
7. पहाड़ों में डिग्गी निर्माण
8. शौचालयों का निर्माण

समाज कल्याण

1. स्वतः रोजगार योजना
2. स्वच्छकार विभुक्ति एवं पुनर्वासन
3. विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोंरिग
4. विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण
5. छात्रवृत्ति
6. पेंशन
7. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकंलाग पेंशन आदि

बाल विकास एवं पुष्टाहार

1. समन्वित बाल विकास परियोजना

वैकल्पिक ऊर्जा

1. मानव मल आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना
2. सोलर फोटो वोल्टाइक पम्प
3. सोलर लालटेन वितरण
4. सोलर कुकर वितरण
5. सोलर घरेलू बत्ती
6. सोलर पावर पैक
7. सोलर वाटर हीटर

ग्राम्य विकास

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

3. सुनिश्चित रोजगार योजना
4. ग्रामीण आवास योजना

प्रादेशिक विकास दल

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
2. ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना
3. युवक/महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन
4. सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन

अल्प बचत

1. शुद्ध जमा धनराशि

प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र0बो0–23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1–	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित माह का अन्तिम कार्य दिवस
2–	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले माह की 5 तारीख तक
3–	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले माह की 10 तारीख तक
4–	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले माह की 20 तारीख तक
5–	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को आख्या	अगले माह की 30 तारीख तक

निरीक्षण/परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं सख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96/प्र0बो0–30/81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182/प्र0बो0–31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6

विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है तथा मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) कार्यालय में तैनात अर्थ एवं संख्यधिकारियों के लिए प्रति माह 2 निरीक्षण का नार्म निर्धारित है। इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं सख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों का श्रेणीबद्ध भीं किया जाता है।

8.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की जाती है तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाती है ।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट ,ललितपुर गौतमबुद्व नगर तथा ज्योतिबाफूले नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है । इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयो का स्थलीय सत्यापन किया जाता है। वर्ष 2015–16 में मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) द्वारा कुल 1,87,038 स्थलीय सत्यापन किये गये, जो कि निम्न तालिका में दर्शाये गये हैंः–

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (सॉ0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या– 2015–16

क्र0सं0	वर्ष 2015–16 में निरीक्षणो की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिर्पोट के अनुसार सूचना संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	6144	187078	187078	–	–

वर्ष 2015–16 में उपनिदेशक, अर्थ एव संख्याधिकारी एवं सहायक सांख्यकीय अधिकारी पूर्व पद नाम सहायक विकास अधिकरी (सां0) द्वारा कोई अपूर्ण/ फर्जी एक भी इकाई नहीं पायी गयी ।

वर्ष 2015–16 में क्षेत्रीय अधिकारियां द्वारा ग्राम्य विकास कार्यो के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

क्र0सं0	अधिकारी के पदनाम	माह मार्च 2016 में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	वर्ष 2015–16में लक्ष्य के सापेक्ष किये गये ग्राम्य विकास कार्यो के कुल निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4
1–	उपनिदेशक	16	290 / 612
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	89	636 / 1428
3–	सहायकविकास अधिकारी (सां0)	–	प्रभाग मुख्यालय पर सह0वि0अधि0 के निरीक्षणेां का संकलन नहीं किया जाता है ।

1–अलीगढ व फैजाबाद मण्डल में उपनिदेशक का पद रिक्त है ।

2–माह मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 5 जनपदों यथा– अमरोहा सम्भल शामली श्रावस्ती तथा हापुड़ में पद रिक्त है ।

3– उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद / मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।

******

अध्याय –9
अरबन स्टैटिस्टिक्स फार एच.आर. एण्ड एस्सेसमेन्ट्स

9.0 पृष्ठभूमि

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.), शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास सॉख्यिकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना **"Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)"** प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है। जिसकी पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़ें एकत्रित करा कर उपलब्ध कराये जा रहे है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

- **नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1:–**

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं जिनके आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जारी किये गये भवन निर्माण अनुमति पत्रों तथा पूर्ण निर्मित भवनों की संख्याः–**

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 55 जनपदों के 63 नगर चयनित है। नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **Housing Start-up index (HSUI)-**

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है। अब तक वर्ष 2015–16 के आंकड़ें संग्रहीत कर ऑनलाइन फीड कराकर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदित किया जा चुका है।

- **भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भावः–**

प्रभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईटें, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप, ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइल्स, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फीटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात

मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है। अब तक वर्ष 2015–16 के आंकड़ें संग्रहीत कर ऑनलाइन फीड कराकर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदित किया जा चुका है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरेंः–**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री) को देय मजदूरी की दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले(नगर) के खुले बाजार से आंकड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांकः–**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से 1980–81 के आधार वर्ष पर प्रदेश के 7 जनपदों (कानपुर, बरेली, झॉसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था।

वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल.आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भांति लागत(कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स साफ्टवेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री कर अनुमोदित किया जाता है

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचनाः–**

इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आंकड़ें Municipal commissioners /District Collectors/City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है। यह कार्य वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है।

9.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2015, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2015, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2014–15 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2015, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जारी किये गये भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र तथा पूर्ण निर्मित भवनों की संख्या चयनित 55 जनपदों के 63 नगरों के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2015, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दरों के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2015, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 को ऑनलाइन राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक आंकड़े वर्ष 2014–15 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी भाव, दर तथा भवन निर्माण लागत सूचकांक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2014–15 का प्रकाशन किया गया।

9.1.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक वर्ष 2014–15 की प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष–

(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव

- ईटें श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 6001 तथा रेत निम्न रू0 1570, रेत अव्वल रू0 1074, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम)रू0 1885, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रू0 83496, (ख) साल की लकड़ी रू0 56662 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 845 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद(क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 6354 (ख) कम शक्तिवाली रू0 6187, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 45246, (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 44693, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 45845, इस्पात (एंगल आइरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रू0 46388,(ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 45433 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 47411 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 235 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर कॉच के औसत भाव रू0 411 प्रति वर्ग मी. पाया गया ।
- सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (150 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रू0 110 प्रति अदद पाया गया।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 412, राज द्वितीय श्रेणी रू0 368, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 386, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 342, अकुशल मजदूर (पुरूष)रू0 245, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 232 प्रति दिन पाया गया ।

(iii) लागत सूचकांक

वर्ष 2014–15 में भवन निर्माण लागत सूचकांक सबसे अधिक 437.57 जनपद झांसी तथा सबसे कम सूचकांक 100.93 जनपद मुजफ्फर नगर का पाया गया।

9.2 वर्ष 2011–12 से 2014–15 के मध्य किये गये उल्लेखनीय कार्य का विवरण

- वर्ष 2011–12 से अनुभाग में ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड्यूल पर ऑनलाइन डेटा इन्ट्री का कार्य प्रारम्भ किया गया, जो वर्तमान में किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के त्रैमासिक आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल ऑनलाइन फीड किये जाते हैं।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के आंकड़ें वित्तीय वर्ष 2013–14 से 34 जनपद के 35 नगरों के वार्षिक आंकड़े जनपदीय कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड्यूल पर ऑनलाईन फीड किये जाते हैं। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

******

अध्याय–10
ई0डी0पी0 अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आँकड़ों के विधायन का कार्य पूर्व में यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता था। उक्त कार्यो के सम्पादन के दौरान आने वाली त्रुटियों /कमियों को दूर करने में काफी कठिनाई होती थी तथा समय भी अधिक लगता था। कालांन्तर में कम्प्यूटर के विकास एवं विभिन्न नवीनतम् तकनीक आधारित साफ्ट्वेयर आदि का प्रयोग कर विधायन का कार्य करने के लिए ''इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग'' (ई0डी0पी0) अनुभाग का गठन किया गया। जिसके द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जाता है–

- **रा0प्र0स0 के आँकड़ों का सारणीयन**

प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित कराये गये रा0प्र0स0 के ऑकडों को प्राप्त कर ई0डी0पी0 अनुभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न चरणों में उक्त ऑकडों के आधार पर सारणियां तैयार की जाती हैं।

- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आँकड़ों का सारणीयन**

प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित कराये गये वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के validated ऑकडों को प्राप्त कर ई0डी0पी0 अनुभाग द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के उक्त ऑकडों को भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षित कराये गये ऑकडों में आमेलित करते हुये विभिन्न चरणों के परीक्षणोंपरांत सारणीकृत किया जाता है।

- **जी0आई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना की मानीटरिंग**

प्रभाग की जी0आई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित E-Manchitra पोर्टल जोकि प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर प्रदर्शित E-Manchitra link पर दर्शाया गया है। ई0डी0पी0 अनुभाग द्वारा उक्त पोर्टल पर प्रदर्शित नियोजन एटलस एवं ग्राफ से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से अद्यतन कराया जाता है।

- **रा0प्र0स0 के आँकड़ों के पूलिंग का कार्य**

ई0डी0पी0 अनुभाग द्वारा रा0प्र0स0 की विभिन्न आवृत्तियो के प्रदेश एवं केन्द्र के ऑकडों को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर के माध्यम से पूल्ड कर जिलेवार एवं राज्यवार पूल्ड estimates तैयार किये जाते हैं ।

10.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- रा0प्र0स0 67वीं आवृत्ति के अनु0 2.34 की पूलिंग का कार्य किया गया।
- रा0प्र0स0 68वीं आवृत्ति के अनु0 1.0 टाइप–1, अनु0 1.0 टाइप–2 एवं अनु0 10 की पूलिंग का कार्य किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2011–12 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित केन्द्र एवं प्रभाग द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर आधारित वांछित सारणीयन का कार्य किया गया।
- स्वान नेटवर्किंग संबंधी कार्य किया गया ।
- जी0आई0एस0 इन्फ्रास्टक्चर योजना की मानीटरिंग का कार्य किया गया।

******

अध्याय–11
साफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय पर प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित कराए जा रहे आँकड़ों के विधायन का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से करने के लिए वांछित सॉफ्टवेयर के विकास एवं उसके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर के उपयोग में विभाग के कार्मिकों की दक्षता में अभिवृद्धि के लिए इनहाउस प्रशिक्षण आयोजित करने के उद्देश्य से साफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण अनुभाग बनाया गया है। माह फरवरी, 2011 में प्रभाग, मुख्यालय पर कार्यरत आई.टी.सेल को उसके कार्यों की समानता को देखते हुए इस अनुभाग में समायोजित कर दिया गया है। वेबसाइट पर प्रभागीय/अनुभागीय सूचनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एकक योजना भवन लखनऊ द्वारा अपलोड करने सम्बन्धी कार्य को माह फरवरी, 2015 से अर्थ एवं संख्या प्रभाग के एस0डी0टी0 अनुभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

11.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

1– प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ निम्नांकित साफ्ट्वेयरों का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

भारत सरकार, डी0पी0डी0 कार्यालय कोलकाता से प्राप्त साफ्टवेयर

(i) NSS 71st Round Phase- 2 & 3 Coverge and Howler Validation Software

(ii) NSS 72nd Round Phase-I Data Validation Software

(iii) NSS 73nd Round Data Entry Software

साफ्टवेयर विकास एवं प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर

(i) ASI 2013-14 Data Entry Software

(ii) ASI 2013-14 Data Validation Software

(iii) Data Entry and validation Software for Unorganised Manufacturing Enterprises

(iv) Data Entry Software for Economic Activities (for village Saifai, district Etawah)

2– रा0प्र0स0 70वीं 71वी एवं 72वीं आवृत्ति से सम्बन्धित साफ्टवेयर, इंस्टालेशन, डेटा–इन्ट्री एवं वैलीडेशन सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालयों से आ रही समस्याओं का दूरभाष पर निराकरण कराया गया साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों से अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय आने वाले सहायकों की समस्याओं का समाधान व्यावहारिक रूप से कम्प्यूटर पर कराया गया।

3– सांख्यिकीय सूचना तंत्र का आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत विकसित Online Data Entry and Reporting System के समस्त मॉड्यूल्स के संचालन में क्षेत्रीय कार्यालयों से आ रही समस्याओं का अनुश्रवण एवं निराकरण कराया गया साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों से अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय आने वाले सहायकों की समस्याओं का समाधान व्यावहारिक रूप से कम्प्यूटर पर कराया गया।

4– प्रभाग की वेबसाइट जिसका URL '**http://updes.up.nic.in**' पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन संबंधी कार्य किया जाता है। प्रभाग से सम्बन्धित अनुभागों से प्राप्त साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व अन्य प्रकार की सूचनाओं एवं प्रभाग में विकसित किए गये साफ्ट्वेयर व अन्य तत्सम्बन्धी अन्य

सूचनाओं के साथ ही, प्राप्त निविदा व प्रेस रिलीज सम्बन्धी सूचनाओं को अनुभाग द्वारा अपलोड किया गया।

11.2 प्रशिक्षण

1– प्रशिक्षण प्रभाग कालाकांकर हाउस में नवनियुक्त सहायक सॉख्यिकीय अधिकारियों को "डेटा प्रोसेसिंग एण्ड आफिस आटोमेशन इन डी0ई0एस0" विषयक पॉच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धित **प्रशिक्षण माड्यूल** को तैयार किया गया।

2– प्रशिक्षण प्रभाग कालाकांकर हाउस में पॉच बैचों में "डेटा प्रोसेसिंग एण्ड आफिस आटोमेशन इन डी0ई0एस0" विषयक पॉच दिवसीय प्रशिक्षण प्रभाग के नवनियुक्त 103 सहायक सॉख्यिकीय अधिकारियों को प्रदान किया गया।

11.3 वेबसाइट का अधुनान्तीकरण

प्रभाग की वेबसाइट पर प्रभाग से सम्बन्धित सभी विषयों की जानकारी उपलब्ध रहती है। प्रभाग की वेबसाइट पर अधिकांश सूचनाएं प्रकाशनों/रिर्पोटों एवं संकेतांकों के रूप में हैं। उक्त सूचनाओं को लगातार एक निश्चित अंतराल में अधुनान्त किया जाता है।

******

अध्याय–12
ग्राफ अनुभाग

प्रभाग द्वारा विभिन्न विभागों से एकत्रित किये गये आँकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष जनपदीय/मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी/उप निदेशक द्वारा तैयार करायी जाती है। साँख्यिकीय पत्रिका में लगने वाले मानचित्र, ग्राफ/चार्ट का कार्य कार्यालयों में तैनात कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट द्वारा तैयार करने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार मुख्यालय स्तर से प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों में प्रयुक्त मानचित्र, ग्राफ/चार्ट व कवर पृष्ठ को मुख्यालय पर स्थित कलाकारों द्वारा तैयार किया जाता है।

12.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकाशनों के आवरण पृष्ठ, ग्राफ/चार्ट एवं मानचित्र तैयार कराये गये।

- उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, रा0प्र0स0 से सम्बन्धित आवृत्ति अनुसूची पर आधारित रिपोर्ट।
- उत्तर प्रदेश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति, रा0प्र0स0 से सम्बन्धित आवृत्ति अनुसूची पर आधारित रिपोर्ट।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, भवन निर्माण में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें, भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2014–15
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की रिपोर्ट वर्ष 2012–13
- जिलेवार विकास संकेतक वर्ष–2015
- उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2014–15
- उत्तर प्रदेश के आय व्ययक के आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2015–16
- साँख्यिकीय सारांश, वर्ष–2015
- साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश (हिन्दी संस्करण) वर्ष–2015
- उत्तर प्रदेश एक झलक (हिन्दी संस्करण) वर्ष–2015
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े, वर्ष–2014
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण में सहभागिता एवं उस पर व्यय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आवृत्ति की रिपोर्ट।
- उत्तर प्रदेश का ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक।
- राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश वर्ष 2004–05 से वर्ष 2014–15
- साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी संस्करण) वर्ष–2015
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े वर्ष 2014–15
- उत्तर प्रदेश एक झलक (अंग्रेजी संस्करण) वर्ष–2015
- रा0प्र0स0–66वीं व 68वीं आवृत्ति अनुसूची पर आधारित रिपोर्ट।

******

अध्याय –13
स्टेट स्ट्रैटेजिक स्टैटिस्टीकल प्लान (एस.एस.एस.पी.) सेल

13.0 पृष्ठभूमि

राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन/अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रभाग मुख्यालय पर SSSP Cell का गठन वर्ष 2011 में किया गया। इस Cell के द्वारा निम्न कार्य कराये गयेः–

A- 13वें वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से क्रियान्वित कार्य।

B- **SSS** के अन्तर्गत संयुक्त हस्ताक्षरित **MOU** में अनुमोदित कार्यों का क्रियान्वयन।

13.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

13.1.1 13वें वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से क्रियान्वित कार्यः–

13वें वित्त आयोग की संस्तुति द्वारा राज्यों एवं जिलों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुधार हेतु 2010–2015 की अवधि में प्रदेश को भारत सरकार द्वारा कुल 28 करोड़ रूपए की धनराशि 2 किश्तों में अवमुक्त की गई थी। इस धनराशि में से 2.73 करोड़ रूपए की धनराशि वर्ष 2015–16 में उपभोग किये जाने हेतु शेष रह गई थी।

उपर्युक्तानुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न महत्वपूर्ण कार्य प्रभाग में सम्पादित किये गये :–

(i) विनिर्माण कार्यों में संलिप्त उद्यमों का सर्वेक्षण :–

योजनान्तर्गत गत वर्ष 2014–15 में बिजनेस रजिस्टर(7 एक्ट) एवं बिजनेस रजिस्टर (10 एक्ट) के माध्यम से कराए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्राप्त 815134 इकाइयों में से विनिर्माण कार्यों में संलिप्त 166008 इकाइयों में से 36417 चयनित इकाइयों का सर्वेक्षण प्रदेश के जनपदों में कराया गया। सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य से सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2015–16 में नहीं हो सका।

(ii) कम्प्यूटर का क्रयः–

विकास खण्डों में तैनात सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे सांख्यिकीय कार्यों हेतु 53 कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी सहवर्ती उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

13.1.2 सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैंगथनिंग (एस.एस.एस.) के अर्न्तगत क्रियान्वित कार्य

SSS योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश को 43.76 करोड़ रूपए की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार के मध्य दिनांक 03.11.2015 को MoU संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया गया है। MoU के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए 6 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। आलोच्य वर्ष में योजनान्तर्गत कराए गए प्रमुख कार्य निम्नवत हैः–

(i) अवस्थापना सम्बन्धी कार्यः–

कानपुर एवं बस्ती मण्डल के मण्डलीय उपनिदेशक(अर्थ एवं संख्या) के कार्यालय भवनों की स्वीकृति प्रदान करने के अतिरिक्त प्रभाग मुख्यालय पर निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य

से स्वतंत्र ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित किया गया है। साथ ही प्रभाग मुख्यालय पर जलापूर्ति हेतु बोरिंग का कार्य भी कराया गया है।

(ii) तकनीकी सुदृढ़ीकरण/उन्नयनः–

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटॉप, एल०सी०डी० प्रोजेक्टर तथा तत्सम्बन्धी उपकरणों का क्रय किया गया।

(iii) मानव संसाधन विकासः–

इस हेतु 30 नवनियुक्त सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों का एक Induction Training कार्यक्रम गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

13.2 वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 के मध्य उल्लेखनीय कार्य

13.2.1 13वें वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से क्रियान्वित कार्य–

योजनान्तर्गत प्राप्त 28 करोड़ रूपये के सापेक्ष मार्च 2015 तक कुल 25.27 करोड़ रूपये का व्यय करते हुए निम्न कार्य कराये गये–

(i) प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय पर तकनीकी सुधार हेतु कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी सहवर्ती उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

(ii) Information and Communication Techniques के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय के मध्य सूचना के आदान प्रदान हेतु SWAN योजना के अन्तर्गत जिला एवं राज्य मुख्यालय के बीच नेटवर्किंग का कार्य सभी 75 जनपदों में पूर्ण किया गया।

(iii) जिला कार्यालयों में निर्वाध विधुत आपूर्ति के लिए प्रत्येक जनपद कार्यालय को 15KW का noiseless जेनरेटर उपलब्ध कराया गया।

(iv) विकास खण्डों में तैनात सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे सांख्यिकीय कार्यों हेतु 278 कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी सहवर्ती उपकरणों को उपलब्ध कराया गया।

(v) Collection of Farm Activity Data-

योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद के 10 प्रमुख फसलों का चिन्हींकरण, उनके उत्पादन लागत का आकलन एवं इस पर आधारित रिपोर्ट कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के माध्यम से तैयार करायी गयी।

(vi) बिजनेस रजिस्टर सर्वेक्षण–

जनपदीय बिज़नेस रजिस्टर निर्माण हेतु 7 अधिनियमों (i) Companies Act,1956, (ii) Factories Act,1948, (iii) Shops and Commercial Establishments Act,1962, (iv) Societies Registration Act,1860, (v) Cooperative Societies Act,1965, (vi) Khadi and Village Industries Board,1966, (vii) Directorate of Industries (District Industries Centre),2006 के अन्तर्गत 31.03.2012 तक पंजीकृत इकाईयों का विवरण सम्बन्धित पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त कर जनपद स्तर पर सूचीबद्ध करते हुए सर्वेक्षण कराया गया। प्रदेश स्तर पर 7 अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत कुल 7,61,131 इकाइयों में से कार्यशील इकाईयाँ 5,19,158 के आधार पर जनपदीय बिजनेस रजिस्टर तैयार किये गये। तत्पश्चात् 3 अतिरिक्त अधिनियम (i) Pre Conception and Pre Natal

Diagnostic Techniques Act, 1995, (ii) Clinical Establishment Act, 2009, (iii) Food Safety and Standard Act of India, 2006 के अन्तर्गत 31.03.2014 तक पंजीकृत इकाइयों को सम्मिलित करते हुए कुल 10 अधिनियमों के लिए बिज़नेस रजिस्टर का अपडेशन कार्य वर्ष 2014–15 में कराया गया। सर्वेक्षणोपरान्त 10 अधिनियमों के अन्तर्गत अपडेटेड बिज़नेस रजिस्टर में कुल पंजीकृत इकाइयाँ 3,76,062 में से 2,95,977 इकाइयाँ कार्यशील पायी गयी, जिसके आधार पर जनपदीय बिजनेस रजिस्टर अपडेट कराये गये।

(vii) स्थानीय निकाय

प्रदेश के 52000 स्थानीय निकायों से आय–व्यय सम्बन्धी गत तीन वर्षों के आँकडों का एकत्रीकरण कर रिपोर्ट तैयार की गयी।

(viii) प्रशिक्षण–

योजनान्तर्गत प्रभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यकुशलता में दक्षता लाये जाने हेतु देश के ख्यातिलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित कराये गये :–

S.No.	**Name of Institute**	**Topic**	**Period**	**No. of Participants**		
				Class I	**Class II**	**Class III**
1	Administrative Staff Collage of India, Hyderabad	(i)Basic Economic Concepts	20.05.2013-24.05.2013	17	-	-
		(ii)Data for Programme Evaluation & Monitoring	17.06.2013-21.06.2013	2	10	-
		(iii)Economic Analysis Using Cross Section Data and Pannel Data	22.07.2013-26.07.2013	3	9	1
		(iv)Data for Programme Evaluation & Monitoring	26.08.2013-30.08.2013	6	12	-

		(v)Time Series Econometrics and Forecasting Techniques	16.09.2013-20.09.2013	8	13	-
		(vi)Basic Economics Concepts Using Statistical Tools	21.12.2015-25.12.2015	6	11	2
		(vii)Basic Economics Concepts Using Statistical Tools	26.01.2015-30.01.2015	2	21	1
		(viii)Basic Economics Concepts Using Statistical Tools	23.03.2015-27.03.2015	2	18	-
2	Indian Institue of Forest Management, Bhoapl.	(i) Invirement Statistics and Natural Resource (water) Accounting	23.02.2015-27.02.2015	8	15	2
		(ii) Invirement Statistics and Natural Resource (water) Accounting	16.11.2015-20.11.2015	2	10	1
		(iii) Invirement Statistics and Natural Resource (water) Accounting	30.11.2015-04.12.2015	4	21	-

3	National Institute of Financial Management, Faridabad.	(i)Regression Analysis	08.06.2015-12.06.2015	4	15	1
		(ii)Input-Output Analysis	22.07.2015-31.07.2015	4	16	
		(iii) Capital Formation	10.08.2015-14.08.2015	2	18	
4	National Institute of Rural Developement, Hyderabad.	(i) Poverty and Iniquality Estimation	05.10.2015-09.10.2015	1	28	1
5	Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi.	(i)Sample Survey and Sampling Design	06.07.2015-10.07.2015	3	15	2
		(ii) Small Area Estimation Techniques	24.08.2015-28.08.2015	3	15	2
6	India Institute of Management, Lucknow.	(i)Economic Analysis of Cross Section Data	03.08.2015-07.08.2015	8	16	1
		(ii)Economic Analysis of Time Series Data	07.09.2015-11.09.2015	8	16	1
7	Centre for Developement Financial Administration, Lucknow.	(i)Financial Management & Statistical Capacity uilding	16.12.2013-20.12.2013	-	11	3
		-do-	06.01.2014-10.01.2014	-	6	9
		-do-	13.01.2014-	-	5	4

			17.01.2014			
		-do-	20.01.2014-24.01.2014	-	12	1
		-do-	09.06.2014-13.06.2014	-	18	-
		-do-	08.09.2016-12.09.2014	-	27	-
		-do-	13.10.2014-17.10.2014	-	28	2
		-do-	10.11.2014-14.11.2014	-	31	1
		-do-	24.11.2014-28.11.2014	-	23	8
		-do-	08.12.2014-12.12.2014	-	24	9
8	Giri Institute Of Developement Studies, Lucknow.	Induction Training (for newly appointed Asstt. Statistical Officers)	(i)13.04.2015-02.05.2015	-	-	40
			(ii) 25.05.2015-13.06.2015	-	-	40
			(iii) 15.06.2015-04.07.2015	-	-	40
Total				93	464	172

****

अध्याय–14
आर्थिक गणना अनुभाग

आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमीय इकाईयों की राष्ट्रव्यापी गणना है। आर्थिक विकास को स्थायी गति व दिशा देने, योजनाओं की वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने, राज्य आय के आगणन, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नव उद्यमियों के लिए समुचित नीति निर्धारण, वास्तविक नियोजन हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने, वर्तमान व भावी पीढ़ी हेतु नीति निर्धारण तथा विकास कार्यक्रमों में आर्थिक गणना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।

आर्थिक गणना के अन्तर्गत देश/प्रदेश में संचालित प्रत्येक वह उद्यम अर्थात उपक्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो, जो केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए न हो, की गणना की जाती है। किसी उद्यम में काम करने वाले, परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों हो सकते है। उद्यम का कार्य–कलाप एक या एक से अधिक स्थानों पर चलाया जा सकता है। गणना के समय उपलब्ध समस्त बारहमासी व मौसमी रूप में संचालित उद्यमों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के लिए पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना जाता है। वे उद्यम जिन्हें हाल ही में प्रारम्भ किया गया हो, की जानकारी गणना के दिनांक की स्थिति के अनुसार की जाती है।

आर्थिक गणना, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रथम बार वर्ष 1977 में करायी गयी थी। इसके उपरान्त वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के आँकड़े एकत्रित कराये गये। चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998 तथा पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 की भाँति छठी आर्थिक गणना वर्ष 2012 में स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करायी जा चुकी है।

14.1 प्रथम आर्थिक गणना–1977

प्रथम आर्थिक गणना वर्ष 1977 की विषय वस्तु एवं क्षेत्र सीमित था जिसके अन्तर्गत गैर कृषीय क्षेत्र में केवल ऐसे प्रतिष्ठानों/उद्यमों को ही सम्मिलित किया गया, जिनमें नियमित रूप से कम से कम एक श्रमिक भाड़े पर कार्यरत हो। आँकड़ों को एकत्र करने के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग–अलग नीति अपनायी गयी। नगरीय क्षेत्र में समस्त घर–घर जाकर आँकड़े एकत्र किये गये किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में केवल 5000 तथा अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्रत्येक घर जाकर सूचना एकत्र की गयी। एकत्रित आँकड़ों के अन्तर्गत मूलभूत सूचनाएं जैसे संस्थानों की संख्या व स्वरूप, उनमें सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, स्वामित्व का प्रकार, स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त शक्ति/ईंधन आदि सम्मिलित थीं।

14.2 द्वितीय आर्थिक गणना–1980

आर्थिक गणना 1980 का क्षेत्र एवं विस्तार प्रथम आर्थिक गणना 1977 की अपेक्षा अधिक वृहद था। प्रथम आर्थिक गणना में स्वकार्य उद्यमों और कृषीय उद्यमों को छोड़ दिया गया था। रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन के दृष्टिकोण से द्वितीय आर्थिक गणना में स्वकार्य उद्यमों से भी सूचना संग्रह कराना आवश्यक समझा गया। साथ ही कृषीय क्षेत्र (फसल उत्पादन तथा बागवानी के अतिरिक्त) के स्वकार्य उद्यमों तथा संस्थानों को भी गणना में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार आर्थिक गणना 1980 के अन्तर्गत कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों (स्वकार्य उद्यम तथा संस्थान) से सम्बन्धित सूचना प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गयी। एकत्रित सूचना के अन्तर्गत प्रत्येक उद्यम के सम्बन्ध में कार्यकलाप का विवरण, कृषीय या गैर कृषीय में वर्गीकरण, बारहमासी या मौसमी, स्वामित्व का प्रकार (निजी, सहकारी, सरकारी या अन्य), स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त ईंधन, रोजगार तथा भाड़े पर श्रमिक आदि की सूचना सम्मिलित थी।

14.3 तृतीय आर्थिक गणना–1990

आर्थिक गणना 1980 के अनुभवों का लाभ उठाते हुए मितव्ययिता तथा विशाल मानवशक्ति के प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय आर्थिक गणना 1990 का कार्य जनगणना 1991 के लिए मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पादित कराया गया तथा इसकी कार्यविधि एवं विषयवस्तु आर्थिक गणना 1980 के समान ही थी।

14.4 चतुर्थ आर्थिक गणना–1998

भारत सरकार द्वारा आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर सम्पन्न कराने का विचार था। परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना का कार्य क्रमशः जनगणना 1981 व 1991 के प्रथम चरण के साथ सम्पन्न करायी गयी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों में पायी जाने वाली उच्च दर की नश्वरता, गतिशीलता व उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन के कारण पुनः आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। तद्नुसार वर्ष 1998 में आर्थिक गणना स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करायी गयी।

आर्थिक गणना–1998 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि फसल उत्पादन व बागवानी से सम्बन्धित कार्यकलापों को छोड़कर अन्य सभी कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी।

14.5 पंचम आर्थिक गणना–2005

5वीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 में स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी। 5वीं आर्थिक गणना का विधायन मैनुअल न होकर वर्ण पहचान प्रौद्योगिकी (आई०सी०आर०–इमेज कैरेक्टर रिकग्नीशन) तकनीक द्वारा किया गया। इस प्रकार 5वीं आर्थिक गणना पूर्व की आर्थिक गणनाओं से कतिपय बातों में भिन्न तथा आँकड़ों के विधायन में पूर्णतया कम्प्यूटराइज्ड/अद्यतन तरीके पर आधारित थी।

14.5.1 पंचम आर्थिक गणना–2005 के मुख्य निष्कर्ष

आर्थिक गणना 2005 के अनुसार प्रदेश में समस्त प्रकार के उद्यमों की संख्या 4020610 है जिनमें 257150 कृषीय उद्यम में तथा 3763460 अकृषीय उद्यम है। इन संचालित उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 8145089 है।

आर्थिक गणना 2005 एवं चतुर्थ आर्थिक गणना 1998 के आँकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

उद्यमों का विवरण

उद्यमों का प्रकार	उद्यमों की संख्या (लाख में) (प्रतिशत)		प्रतिशत वृद्धि
	1998	2005	
कृषीय	1.23 (4.3)	2.57(6.4)	108.9
अकृषीय	27.05(95.6)	37.64(93.6)	39.1
ग्रामीण	13.60(48.1)	22.05(54.8)	62.1
नगरीय	14.68(51.9)	18.16(45.2)	23.7
स्वकार्य	21.47(75.9)	28.45(70.8)	32.5
संस्थान	6.81(24.1)	11.76(29.2)	72.7
कुल	28.28(100.0)	40.21(100.0)	42.2

कार्यरत व्यक्तियों का विवरण

उद्यमों का प्रकार	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या लाख में / (प्रतिशत)		प्रतिशत वृद्धि
	1998	2005	
कृषीय	2.15(3.1)	5.21(6.4)	142.3
अकृषीय	67.13(96.9)	76.24(93.6)	13.6
ग्रामीण	29.87(43.1)	40.82(50.1)	36.7
नगरीय	39.41(56.9)	40.63(49.9)	3.1
स्वकार्य में	31.49(45.5)	37.93(46.6)	20.4
संस्थान में	37.79(54.5)	43.52(53.4)	15.2
भाड़े पर	31.12(44.9)	33.64(41.3)	8.1
कुल	69.28(100.0)	81.45(100.0)	17.6

14.6 छठी आर्थिक गणना 2012–13

प्रदेश में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप छठी आर्थिक गणना 2012–13 सम्पन्न कराई गयी है जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्पादित की गयीः–

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक जनपद में सम्पन्न करायी गयी जनगणना–2011 के लिये बनाये गये प्रगणन खण्डों को ही आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण / गणना कार्य हेतु आधार बनाया गया। तद्नुसार ही प्रगणन खण्डों की फ्रेमिंग जनगणना–2011 में प्रयुक्त की गयी संक्षिप्त मकान सूची, नज़री नक्शा एवं चार्ज रजिस्टर के अनुसार चिन्हित कर सर्वेक्षण / गणना कार्य सम्पन्न कराया गया है। उक्त आधार पर प्रदेश में 1,598 चार्जों के अन्तर्गत 3,95,223 प्रगणन खण्डों की गणना की गयी जिसमें 1,25,917 प्रगणक, 59,018 पर्यवेक्षक तथा 1598 चार्ज अधिकारी लगाये गये।

भारत सरकार के निर्देशानुसार आर्थिक गणना–2012–13 का गणना कार्य प्रारम्भ कराने के उद्देश्य से दिनॉक 10.05.13 से 18.05.13 तक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तदुपरान्त सचिव नियोजन के निर्देशानुसार दिनांक 23.05.2013 से 31.05.2013 के मध्य जिला / चार्ज स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर आर्थिक गणना में लगाये गये चार्ज अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया और उनके उपयोगार्थ ''मार्ग दर्शिका'' नामक पुस्तिकाओं को मुद्रित कराकर वितरण कराया गया।

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आर्थिक गणना मानीटरिंग एवं स्टीयारिंग कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2013 आयोजित कराकर आर्थिक गणना 2012–13 की कार्य योजना को अनुमोदित कराया गया।

आर्थिक गणना वर्ष 2012–13 कराने के लिए जनपदवार ग्रामीण एवं नगरीय निर्दशनी तैयार करने एवं जनपदवार कार्मिक प्रबन्धन आदि की सूचना / व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई गई। आर्थिक गणना 2012–13 का गणना कार्य 01.06.2013 से प्रारम्भ कराते हुए दिनांक 30.08.2014 को पूर्ण कराया गया।

सर्वेक्षण/गणना कार्य के उपरान्त प्रयुक्त भरी हुई अनुसूचियॉ 6A, 6B एवं 6C का परिनिरीक्षण एवं एन.आई.सी.–2008 के अनुसार कोडिंग का कार्य पूर्ण कराते हुए अनसूची 6B एवं 6C में संग्रहीत ऑकड़ों को भारत सरकार द्वारा बनाये गये साफ्टवेयर पर डेटा इन्ट्री करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारी/कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर डेटा इन्ट्री का कार्य कराया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में तैयार कराये गये त्वरित परिणामों के आधार पर प्रदेश स्तर के त्वरित परिणाम तैयार कर अन्य अपेक्षित सूचनाओं के साथ भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा देश के लिए त्वरित परिणाम दिनांक 30.07.2014 को एवं उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के लिए त्वरित परिणाम दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित कराये गये हैं। उक्त प्रक्रिया के साथ ही अनुसूची 6A में संग्रहीत ऑकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपदों से सीधे स्कैनिंग केन्द्र पर भेजकर जनपदवार स्कैनिंग कार्य पूर्ण कराया गया।

14.6.1 छठी आर्थिक गणना 2012–13 के त्वरित परिणाम

छठी आर्थिक गणना–2012–13 के प्रदेश स्तरीय त्वरित परिणाम दिनांक 18.11.2014 को डा. देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये। त्वरित परिणाम के प्रमुख निष्कर्ष "Highlights of Reports" में दिये जा रहे हैं।

Highlights of Reports

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशन में छठी आर्थिक गणना–2012–13 प्रदेश के समस्त 71 जनपदों में सम्पन्न करायी गयी। यह शत–प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित योजना है। इसके लिए प्रगणन खण्डों का आधार, जनगणना 2011 के प्रगणन खण्ड बनाये गये। छठी आर्थिक गणना के अन्तर्गत समस्त कृषीय एवं अकृषीय उद्यमों (फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) की गणना माह जून 2013 से अगस्त 2013 के मध्य करायी गयी है। जिसमें प्रथम बार हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्यमों को गणना कार्य में सम्मिलित किया गया है। जिसमें 3,95,223 प्रगणन खण्डों में गणना कार्य कराने के लिए 1,25,917 प्रगणक, 59,018 पर्यवेक्षक एवं 1,598 चार्ज अधिकारी लगाये गये। आर्थिक गणना के प्रदेश स्तरीय त्वरित परिणाम दिनांक 18.11.2014 को डा. देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये। त्वरित परिणामों के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं:–

(i) छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अनुसार प्रदेश के अन्तर्गत कुल 66,71,062 उद्यम, जिसमें से 41,27,354 (61.87 प्रतिशत) उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में एवं 25,43,708 (38.13 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्र में पाये गये। इस प्रकार पांचवी आर्थिक गणना–2005 के सापेक्ष प्रदेश में उद्यमों की संख्या में 67.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह वृद्धि 88.55 प्रतिशत रही और नगरीय क्षेत्र में 40.98 प्रतिशत रही।

(ii) छठी आर्थिक गणना के अनुसार प्रदेश के उद्यमों में कुल कार्यरत व्यक्तियों 1,36,55,379 में से 76,38,038 व्यक्ति (55.93 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में एवं 60,17,341 व्यक्ति (44.07 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्र में कार्यरत पाये गये। इस प्रकार पांचवी आर्थिक गणना–2005 के सापेक्ष प्रदेश में कामगारों की संख्या में 74.04 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह वृद्धि 89.86 प्रतिशत रही और नगरीय क्षेत्र में 57.40 प्रतिशत रही।

(iii) कुल कार्यरत व्यक्तियों में से भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत 34.68 है, जबकि कुल कामगारों में से महिला कामगारों का प्रतिशत 19.41 रहा। उल्लेखनीय है कि पांचवी आर्थिक गणना 2005 के सापेक्ष महिला कामगारों की संख्या में 31.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(iv) 3,52,773 (5.29 प्रतिशत) हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्रियाकलापों वाले उद्यम पाये गये।

(v) छठी आर्थिक गणना के अन्तर्गत पांचवीं आर्थिक गणना के सापेक्ष उद्यमों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर जनपद बुलन्दशहर (268.03 प्रतिशत) तथा न्यूनतम वृद्धिदर जनपद हमीरपुर (145.61 प्रतिशत) पायी गयी हैं। इसी प्रकार कामगारों की संख्या में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धिदर जनपद बुलन्दशहर में (331.88 प्रतिशत) तथा न्यूनतम वृद्धिदर जनपद बागपत में (6.71 प्रतिशत) पायी गयी हैं।

सर्वाधिक उद्यमों वाले 10 जनपद (कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)	
1. बरेली	262895 (3.94)
2. बुलन्दशहर	259328 (3.89)
3. मेरठ	250396 (3.75)
4.मुरादाबाद	243383 (3.65)
5. लखनऊ	232005 (3.48)
6. इलाहाबाद	225800 (3.38)
7. अलीगढ़	223649 (3.35)
8. आगरा	219823 (3.30)
9. बदायूं	217483 (3.26)
10. कानपुर नगर	202043 (3.03)

सबसे कम उद्यमों वाले 10 जनपद (कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)	
1. चित्रकूट	14791 (0.22)
2. श्रावस्ती	17222 (0.26)
3. हमीरपुर	20347 (0.31)
4. महोबा	22774 (0.34)
5. ललितपुर	24936 (0.37)
6. सोनभद्र	28556 (0.43)
7. औरैया	31962 (0.48)
8. बांदा	34480 (0.52)
9. बलरामपुर	36013 (0.53)
10. कौशाम्बी	36355 (0.54)

सर्वाधिक रोजगार वाले 10 जनपद (कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)	
1. गौतम बुद्ध नगर	609574 (4.46)
2. बुलन्दशहर	545869 (4.00)
3. लखनऊ	522597 (3.83)
4. आगरा	509074 (3.73)
5. बरेली	506670 (3.71)
6. मेरठ	482878 (3.54)
7. कानपुर नगर	480373 (3.52)
8. मुरादाबाद	477892 (3.50)
9. अलीगढ़	472006 (3.46)
10. गाजियाबाद	435666 (3.19)

सबसे कम रोजगार वाले 10 जनपद (कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)	
1. चित्रकूट	28571 (0.21)
2. श्रावस्ती	31456 (0.23)
3. हमीरपुर	37202 (0.27)
4. महोबा	42333 (0.31)
5. ललितपुर	49134 (0.36)
6. औरैया	55647 (0.41)
7. सोनभद्र	60320 (0.44)
8. बलरामपुर	66012 (0.48)
9. कौशाम्बी	67386 (0.49)
10. चन्दौली	69759 (0.51)

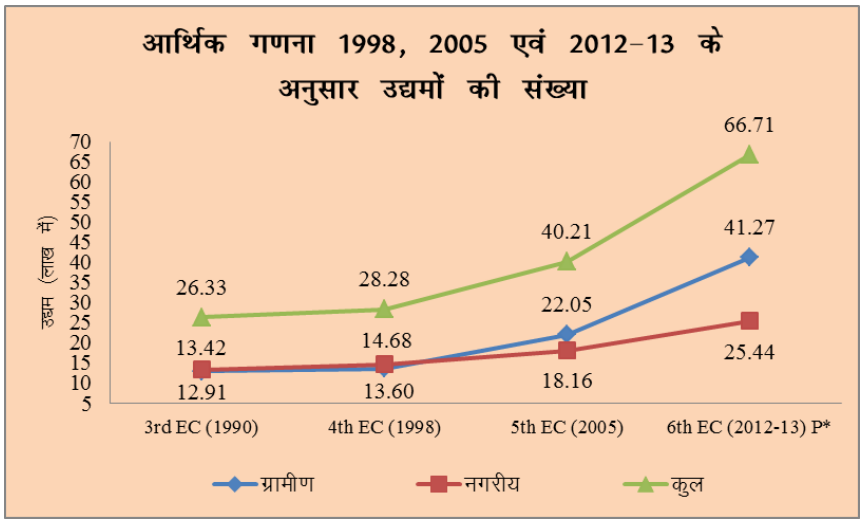

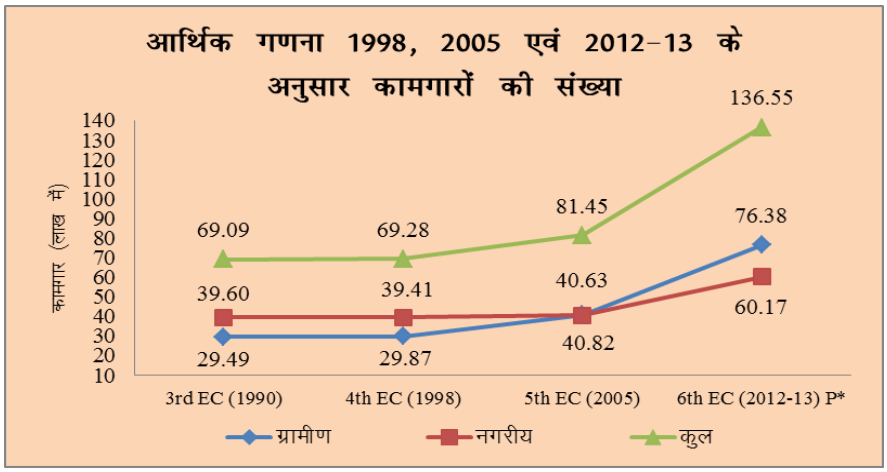

******

अध्याय– 15
प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग

15.0 सम्पादित कार्य

ऑकड़ों के सुलभ प्रस्तुतिकरण एवं उनका अभिलेखीकरण कर अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा ऑकड़ों की उपलब्धता के प्रचार के उद्देश्य से प्रभाग स्तर पर अलग–अलग अनुभागों द्वारा विभिन्न प्रकाशन तैयार किये जाते है, इनमें अधिकांश प्रकाशन नियमित रूप से वार्षिक अंतराल में प्रकाशित किये जाते है । समय–समय पर प्रभाग द्वारा किये जाने वाले विशेष कार्य जैसे :– आर्थिक गणना , पावर्टी एण्ड सोशल मांनीटरिंग सर्वेक्षण आदि के परिप्रेक्ष में प्राप्त रिपोर्टों का प्रकाशन तदर्थ रूप से कराया जाता है। यद्यपि प्रभाग के सभी नियमित प्रकाशन प्रभागीय वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध है,फिर भी अध्ययन में प्रयोग की सहजता के दृष्टिकोण से पुस्तकीय रूप में अर्थात प्रिन्ट रूप में उपलब्धता का अपना विशिष्ट महत्व है।

15.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग, मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रचार एवं प्रकाशन अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम/मुद्रित करायी जाने वाली प्रतियों की संख्या	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में)	डेटा बैंक	वार्षिक	1991
3.	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुभाग, उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उ0प्र0 का आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन सस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0	डेटा बैंक	वार्षिक	1961

8.	जिलेवार विकास सकेतक	डेटा बैंक	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े	डेटा बैंक	वार्षिक	1976
10	अर्न्तर्जनपदीय ऑकड़े	डेटा बेंक	द्विवार्षिक	1976
10.	सॉख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
11.	UP AT A GLANCE (IN FIGURES)	डेटा बैंक	वार्षिक	2009

त्रैमासान्त प्रकाशन

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	त्रैमासिक न्यूज लेटर	प्रथम संस्करण अक्टूबर–दिसम्बर 2008

तदर्थ प्रकाशन

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)	1977

चक्रमुद्रित प्रकाशन

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अनुभाग	वार्षिक	1964–65
2.	स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूंजी–व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1967–68
3.	भवन निर्माण सम्बन्धी भाव, मजदूरी की दरें तथा भावन निर्माण लागत सूचकांक	ऊषा अनुभाग	वार्षिक	1981–82

उक्त चक्रमुद्रित प्रकाशनों का वितरण जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों में प्रभाग द्वारा किया जाता है। क्रमांक 2 पर अंकित प्रकाशन का वितरण जनपद/मण्डलों के अतिरिक्त 12 नगर निगमों को भी उपलब्ध कराया जाता है।

15.2 वर्ष 2015–2016 में सम्पादित कार्य

1– नियमित प्रकाशन

- सॉख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2015
- उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) 2015
- उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2014–15
- राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश 2011–12 से 2014–15
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2015–16
- राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य–विवरण 2015–16

2– उक्त के अतिरिक्त अन्य नियमित प्रकाशनों का प्रकाशन राजकीय मुद्रणालय से कराया गया।

- सॉ0डायरी (अग्रेजी) 2014
- एक झलक (अंग्रेजी) 2014
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव मजदुरी तथा लागत सूचकांक वर्ष 2013–14
- अन्तर्जन्पदीय ऑकड़ें वर्ष 2014
- अन्तर्राज्जीय तुलनात्मक ऑकड़ें –2013

3–त्रैमासान्त प्रकाशन के रूप में सन्दर्भित अवधि में प्रत्येक त्रैमासन्त में त्रैमासिक न्यूज लैटर का मुद्रण कराया।

- त्रैमासिक न्यूज लेटर अक्टूबर–दिसम्बर 2014
- त्रैमासिक न्यूज लेटर जनवरी-मार्च 2015

4– उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकाशन मुद्रण हेतु राजकीय प्रेस में प्रेषित है–

- सॉ0डायरी (अग्रेजी) 2015
- एक झलक (अंग्रेजी) 2015
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2011–12
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव मजदूरी तथा लागत सूचकांक वर्ष 2014–15

******

अध्याय–16
समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांकः 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस रिसर्च सेल को दिनांकः 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

16.1 मुख्य उद्देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतिकरण तथा शोध सम्बंधी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है।

16.2 सम्पादित कार्यों का विवरण

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना का प्रेषण।
- मण्डल एवं जनपदों के समग्र कार्यो की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यो की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की मांग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (**COCSSO**) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभागों के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवाने के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किये जाने वाले केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों(**COCSSO**) हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना डाक्यूमेन्ट के प्रथम अध्याय ''**An Overview of the State Economy**'' का लेखन कार्य एवं वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना डाक्यूमेन्ट के प्रभाग से सम्बन्धित अनुलग्नकों को तैयार किया जाता है।
- प्रभाग का त्रैमासिक **News Letter ESR, UP.** का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्य कलापों, अधुनान्त सूचकांक व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु **CSO** भारत सरकार को भेजी जाती है।

16.3 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की प्रगति प्रमुख समन्वय अधिकारी एवं शासन को प्रेषित की गयी।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों (**COCSSO**) के दिनांक 4 ,5 नवम्बर 2015 को गुहाटी में आयोजित हुए 23वां सम्मेलन में श्री गिरजा शंकर कटियार, निदेशक तथा श्री यू0 आर0 भावे, संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सम्मेलन की संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या तैयार कर भारत सरकार भेजी गयी।
- योजना आयोग, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (SMDG) की प्राप्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त कर उत्तर प्रदेश राज्य की **STATE MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL REPORT - 2015** तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- वर्ष 2011–12 में केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का 19वां सम्मेलन(**COCSSO**) दिनांक 30 व 31 जनवरी को जयपुर में, वर्ष 2012–13 में केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का 20वां सम्मेलन(**COCSSO**) दिनांक 10 व 11 जनवरी को गंगटोक में तथा वर्ष 2013–14 में केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का 21वां सम्मेलन(**COCSSO**) दिनांक 23 एवं 24 जनवरी को गोवा में आयोजित हुआ जिनकी संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या तैयार कर भारत सरकार भेजी गयी। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का 22वां सम्मेलन(**COCSSO**) दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर को शिमला में आयोजित हुआ जिसकी संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या को भी तैयार कर भारत सरकार भेजी गयी।

- स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर 09वां सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2015 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय **Social Statistics/Development** निर्धारित किया गया।
- प्रभाग की वार्षिक योजना 2016–17 के प्रथम अध्याय **An overview of the State Economy** तथा तदसम्बन्धी एनेक्सर को तैयार कर राज्य योजना आयोग को प्रेषित किया गया।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 50 अधिकारियों एवं 149 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजे गये 11 अंतःप्रशिक्षुओं को प्रभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अंतःप्रशिक्षुता करायी गयी।
- शासन /भारत सरकार से प्राप्त विविध प्रकरणों से संबधित कार्य भी किये जाते हैं।

******

अध्याय–17
स्थापना अनुभाग

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जा रहा हैः–

- **प्रशासनिक व्यवस्था–** मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।

- **नियुक्ति–** शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- **पदोन्नति–** संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- **स्थायीकरण–** प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- **ज्येष्ठता–** प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- **समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–** शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- सेवा संबंधी अन्य प्रकरण।

- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

- स्थापना संबंधी सूचनाओं का प्रेषण।

17.1 वर्ष 2015–16 में सम्पादित कार्य

नियुक्तिः–

- चतुर्थ श्रेणी के पद पर 02 मृतक आश्रितों को नियुक्त किया गया।
- कनिष्ठ सहायक के पद पर 05 मृतक आश्रितों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

पदोन्नतिः–

- 01 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 50 अपर सांख्यिकीय अधिकारियो को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 05 चतुर्थ श्रेंणी कार्मिको को चालक के पद पर पदोन्नत किया गया।

समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन

- 01 उप निदेशक (कं0), 25 वरिष्ठ सहायक, 03 आशुलिपिक एवं 02 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- 01 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 23 वरिष्ठ सहायक एवं 01 चतुर्थ श्रंणी कार्मिक को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- 01 संयुक्त निदेशक, 02 उप निदेशक, 14 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

स्थानान्तरण

62 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 41 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 05 कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, 02 आशुलिपिक, 17 वरिष्ठ सहायक, 11 कनिष्ठ सहायक, 03 चालक एवं 09 चपरासियों के स्थानान्तरण किये गये।

न्यायालय प्रकरणः–

25 रिट याचिकायें दाखिल हुई, जिसमें 18 रिट याचिकाएं मा0 न्यायालय द्वारा निस्तारित की जा चुकी हैं शेष 7 रिट याचिकाओं में से 2 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा 5 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है।

सेवा निवृत्त

वर्ष में 01 अपर निदेशक, 01 संयुक्त निदेशक, 16 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 35 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 14 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 07 कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, 01 आशुलिपिक, 02 चालक एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कुल 81 कार्मिक अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य

- प्रत्येक त्रैमासिक न्यूज लेटर की सूचना तैयार कराकर समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग प्रेषित की गयी।
- शासन द्वारा समय समय पर स्थापना अनुभाग से संबंधित चाही गयी सूचनाओं का प्रेषण किया गया।
- शासन से प्राप्त डनसजप प्रपत्रीय चेक लिस्ट की सूचना प्रत्येक माह ससमय तैयार कर प्राप्त करायी गयी।

- प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में स्थापना अनुभाग के कार्यो के कार्यवृत्त की परिपालन आख्या सहित सूचना प्रस्तुत की गयी।
- अराजपत्रित कार्मिकों की लम्बित वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्राप्त करने हेतु नियमित अनुश्रवण कराया गया।
- मृतक आश्रितों की भर्ती की कार्यवाही तथा चतुर्थ वर्ग से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराया गया।
- प्रत्येक माह टास्क सेटिंग की सूचना तैयार कर समन्वय प्रशिक्षण एवं शाोध अनुभाग प्रेषित की गयी।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट के प्रकरणों में सहयोग किया गया।
- स्थापना संबंधी लम्बित प्रकरणों की समीक्षा/निस्तारण हेतु जनपद कार्यालयों में निरीक्षण किया गया।

17.2 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 के मध्य के महत्वपूर्ण प्रकरण

नियोजन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–780/35–2–2012–3/18(3)/2002, दिनांक 06.07.2012 द्वारा राजपत्रित सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के पुर्नगठित हो जाने से अर्थ एवं संख्याधिकारियों के 08 पदों को उच्चीकृत करते हुए 01 अपर निदेशक, 03 संयुक्त निदेशक तथा 04 उप निदेशक के पदों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप उक्त पदों पर जनवरी 2014 से पदोन्नति करते हुए शासन द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं। तदोपरान्त दिनांक 28.02.2014 से अपर निदेशक द्वारा निदेशक के पद का कार्य दायित्व संभाला गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.05.14 द्वारा निदेशक पद पर विभागीय निदेशक के पदोन्नति आदेश जारी किये गये।

******

अध्याय–18
लेखा अनुभाग

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

18.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- सभी अधिकारियों/कर्मचारियो के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- क्षेत्रीय कार्यालयों का आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं प्राप्त परिपालन आख्याओं का परीक्षण कार्य।
- क्षेत्र/मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता की स्वीकृति।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय–व्ययक प्रेषित करना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुर्नस्थापना की कार्यवाही।
- अतिरिक्त आपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग के प्रस्ताव प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषण।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से प्रभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान।

- निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन। त्रैमासिक व वार्षिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रेषण।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही।

18.2 लेखा अनुभाग–2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- वेतन का ससमय आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों का रख–रखाव।
- समय–समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्त उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जांचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की मांग करना, स्वीकृति, आहरण/भुगतान।
- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी कार्यो का सम्पादन।
- रूपया 40,000/– से अधिक की चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 1,00,000/– से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी कार्यो का सम्पादन।

******

अध्याय–19
प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पादित कार्य

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

19.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि ''√'' से प्रदर्शित हैं :–

भाव व मजदूरी दरों का प्रकार

क्र. सं.	जनपद	थोक भाव	नगरीय उप भाव सूचकाँक	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्व नगर	√	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√	√

22	मैनपुरी		√	√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√	√
24	बरेली	√	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√	√
28	सीतापुर	√	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√	√
40	झाँसी	√	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√	√
49	इलाहाबाद	√	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√	√
51	फैजाबाद		√	√	√	√	√
52	अम्बेदकर नगर	√	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√	√

59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√	√
61	संतकबीर नगर		√	√	√	√	√
62	महराजगंज		√	√	√	√	√
63	गोरखपुर	√	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√	√

*उक्त 18 जनपदों के भाव एकत्र नही किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झांसी, इलाहाबाद, सन्तरविदास नगर, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये जाते हैं । 47 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । लखनऊ केन्द्र के 16 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण अथवा की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते है। उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते है ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है।

19.1.1 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (सॉ.) द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये स्थलीय निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2015–16

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	सहारनपुर	02
2	मुजफ्फरनगर	13

3	शामली	—
I	सहारनपुर मण्डल	9
	योग सहारनपुर मण्डल	**24**
4	बिजनौर	25
5	मुरादाबाद	04
6	रामपुर	04
7	ज्योतिबाफूले नगर	—
8	सम्भल	—
II	मुरादाबाद मण्डल	63
	योग मुरादाबाद मण्डल	**96**
9	मेरठ	27
10	बागपत	0
11	गाजियाबाद	18
12	गौतमबुद्व नगर	14
13	बुलन्दशहर	10
14	हापुड़	41
III	मेरठ मण्डल	0
	योग मेरठ मण्डल	**110**
15	अलीगढ़	09
16	हाथरस	22
17	एटा	13
18	कासगंज	30
IV	अलीगढ़ मण्डल	12
	योग अलीगढ मण्डल	**86**
19	मथुरा	11
20	आगरा	35
21	फिरोजाबाद	14
22	मैनपुरी	28
V	आगरा मण्डल	67
	योग आगरा मण्डल	**155**
23	बदायूँ	03
24	बरेली	13
25	पीलीभीत	11
26	शाहजहाँपुर	0
VI	बरेली मण्डल	0
	योग बरेली मण्डल	**27**
27	खीरी	15
28	सीतापुर	02
29	हरदोई	13

30	उन्नाव	0
31	लखनऊ	16
32	रायबरेली	07
VII	लखनऊ मण्डल	19
	योग लखनऊ मण्डल	72
33	फर्रूखाबाद	05
34	कन्नौज	08
35	इटावा	08
36	औरैया	02
37	कानपुर देहात	06
38	कानपुर नगर	09
VIII	कानपुर मण्डल	04
	योग कानपुर मण्डल	42
39	जालौन	15
40	झाँसी	14
41	ललितपुर	—
IX	झांसी मण्डल	14
	योग झांसी मण्डल	43
42	हमीरपुर	10
43	महोबा	0
44	बाँदा	05
45	चित्रकूट	14
X	चित्रकूटधाम मण्डल	19
	योग चित्रकूटधाम मण्डल	48
46	फतेहपुर	06
47	प्रतापगढ़	—
48	कौशाम्बी	09
49	इलाहाबाद	36
XI	इलाहाबाद मण्डल	30
	योग इलाहाबाद मण्डल	81
50	बाराबंकी	10
51	फैजाबाद	55
52	अम्बेदकर नगर	0
53	सुल्तानपुर	06
54	अमेठी	04
XII	फैजाबाद मण्डल	10
	योग फैजाबाद मण्डल	85
55	बहराइच	13
56	श्रावस्ती	—

57	बलरामपुर	02
58	गोण्डा	12
XIII	देवीपाटन मण्डल	18
	योग देवीपाटन मण्डल	**45**
59	सिद्वार्थनगर	06
60	बस्ती	09
61	संतकबीर नगर	30
XIV	बस्ती मण्डल	60
	योग बस्ती मण्डल	**105**
62	महराजगंज	25
63	गोरखपुर	21
64	कुशीनगर	11
65	देवरिया	41
XV	गोरखपुर मण्डल	10
	योग गोरखपुर मण्डल	**108**
66	आजमगढ़	24
67	मऊ	25
68	बलिया	—
XVI	आजमगढ मण्डल	58
	योग आजमगढ मण्डल	**107**
69	जौनपुर	18
70	गाजीपुर	22
71	चन्दौली	21
72	वाराणसी	29
XVII	वाराणसी मण्डल	05
	योग वाराणसी मण्डल	**95**
73	संतरविदास नगर	0
74	मिर्जापुर	06
75	सोनभद्र	04
XVIII	विन्ध्याचल मण्डल	18
	योग विन्ध्याचल मण्डल	**28**

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

19.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा जनपदवार चयनित राज्य प्रतीक के कारखानों से निर्धारित अनुसूची पर ऑकड़ें संग्रहीत किये जाते है। जनपदों द्वारा सर्वेक्षित कारखानों की भरी हुई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण, डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन सम्बन्धित मण्डल कार्यालय द्वारा किया जाता है। मण्डल कार्यालयों से त्रुटिरहित ऑकड़ें प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। वर्ष 2014–15 में जनपदों द्वारा वा0उ0स0

वर्ष 2013–14 के आवंटित/सर्वेक्षित कारखानों का सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :–

जनपद / मण्डल का नाम	आवंटित कारखाने	सर्वेक्षित कारखाने	जनपद / मण्डल का नाम	आवंटित कारखाने	सर्वेक्षित कारखाने
1– सहारनपुर	39	39	35– जालौन	3	3
2– मुजफ्फरनगर	10	10	36– झाँसी	8	8
73–शामली	12	12	37– ललितपुर	0	0
1– सहारनपुर	**151**	**151**	**8– झाँसी**	**11**	**11**
3– बिजनौर	36	36	38– हमीरपुर	0	0
4– मुरादाबाद	51	51	39– महोबा	4	4
5– रामपुर	26	26	40– बाँदा	0	0
6– ज्यो0फु0नगर	12	12	41– चित्रकूट	0	0
74–सम्भल	11	11	**9–चित्रकूट धाम**	**4**	**4**
2– मुरादाबाद	**136**	**136**	42 फतेहपुर	19	19
7– मेरठ	164	164	43– प्रतापगढ़	4	4
8– बागपत	7	7	44– कौशाम्बी	4	4
9– गाजियाबाद	376	376	45– इलाहाबाद	52	52
10–गौतमबुद्धनगर	574	574	**10– इलाहाबाद**	**79**	**79**
11– बुलन्दशहर	97	97	46– बाराबंकी	20	20
75–हापुड़	21	21	47– फैजाबाद	20	20
3– मेरठ	**1239**	**1239**	48–अम्बेडकरनगर	8	8
14– मथुरा	65	65	49– सुलतानपुर	6	6
15– आगरा	151	151	72– अमेठी	2	2
16– फिरोजाबाद	79	79	**11– फैजाबाद**	**56**	**56**
18– मैनपुरी	14	14	50– बहराइच	10	10
4– आगरा	**309**	**309**	51– श्रावस्ती	0	0
12–अलीगढ़	46	46	52– बलरामपुर	4	4
13–महामायानगर(हाथरस)	37	37	53– गोण्डा	7	7
71–कासगंज	1	1	**12– देवीपाटन**	**21**	**21**
17– एटा	2	2	54– सिद्धार्थनगर	0	0

18–अलीगढ़	**86**	**86**	55– बस्ती	5	5
19– बदायूँ	4	4	56– संतकबीरनगर	2	2
20– बरेली	60	60	**13– बस्ती**	**7**	**7**
21– पीलीभीत	10	10	57– महराजगंज	4	4
22– शाहजहॉपुर	22	22	58– गोरखपुर	26	26
5– बरेली	**96**	**96**	59– कुशीनगर	0	0
23– खीरी	19	19	60– देवरिया	0	0
24– सीतापुर	28	28	**14– गोरखपुर**	**30**	**30**
25– हरदोई	18	18	61– आजमगढ़	0	0
26– उन्नाव	41	41	62– मऊ	0	0
27– लखनऊ	137	137	63– बलिया	0	0
28– रायबरेली	12	12	**15– आजमगढ़**	**0**	**0**
6– लखनऊ	**255**	**255**	64– जौनपुर	12	12
29– फर्रूखाबाद	10	10	65– गाजीपुर	8	8
30– कन्नौज	21	21	66– चन्दौली	28	28
31– इटावा	13	13	67– वाराणसी	47	47
32– औरैया	4	4	**16– वाराणसी**	**95**	**95**
33– कानपुर देहात (रमाबाई नगर)	23	23	68– संत रविदास नगर	21	21
34– कानपुर नगर	275	275	69– मिर्जापुर	11	11
7– कानपुर	**346**	**346**	70– सोनभद्र	3	3
			17– विन्ध्याचल	**35**	**35**
			उत्तर प्रदेश	**2956**	**2956**

जनपद हेतु आवंटित इकाईयों में से कम से कम 5 प्रतिशत या उपलब्धता की स्थिति में कम से कम दो इकाईयों का निरीक्षण अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। बन्द इकाईयों का शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जाता है। मण्डलीय उपनिदेशक द्वारा मण्डल के प्रत्येक जनपद की चालू इकाईयों में कम से कम 2 प्रतिशत या एक इकाई का निरीक्षण निर्धारित है एवं बंद इकाईयों में से कम से कम 10 प्रतिशत या उपलब्धता की स्थिति में 3 इकाईयों का निरीक्षण निर्धारित है।

19.3 ग्राम्य विकास कार्य

ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशकों को प्रेषित की जाती है तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाती है।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों महोवा, श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर, गौतमबुद्ध नगर तथा ज्योतिबाफुलेनगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है । इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है ।

19.3.1 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (सॉ.) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या वर्ष 2015–16

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्थलीय सत्यापनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	सहारनपुर	5899
2	मुरादाबाद	6114
3	मेरठ	10651
4	आगरा/अलीगढ़	12953
5	वाराणसी	22406
6	गोरखपुर	19761
7	लखनऊ	8901
8	कानपुर	8559
9	बरेली	9407
10	आजमगढ	11297
11	बस्ती	6443
12	इलाहाबाद	17121
13	विन्ध्याचल	11300
14	चित्रकूटधाम	10386
15	फैजाबाद	14733
16	झांसी	4450
17	देवीपाटन	5757
योग		**187038**

19.3.2 क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किये गये ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों का विवरण वर्ष 2015–16

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों की संख्या	क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	सहारनपुर	13	40	खीरी	14
2	शामली	–			
3	मुजफ्फर नगर	6	41	सीतापुर	5
	सहारनपुर मण्डल	18	42	हरदोई	2
1	**योग सहारनपुर मण्डल**	**37**	43	उन्नाव	7
4	बिजनौर	12	44	लखनऊ	8
5	संभल	–			
6	मुरादाबाद	0	45	रायबरेली	0
7	रामपुर	0		लखनऊ मण्डल	4
8	ज्योतिबाफूले नगर	0	**11**	**योग लखनऊ मण्डल**	**40**
	मुरादाबाद मण्डल	36	46	फर्रूखाबाद	10
2	**योग मुरादाबाद मण्डल**	**48**	47	कन्नौज	24
9	मेरठ	9	48	इटावा	2
10	बागपत	2	49	औरैया	3
11	हापुड़	–			
12	गाजियाबाद	13	50	रमाबाई नगर	8
13	गौतम बुद्व नगर	13	51	कानपुर नगर	3
14	बुलन्द शहर	24		कानपुर मण्डल	5
	मेरठ मण्डल	0	**12**	**योग कानपुर मण्डल**	**55**
3	**योग मेरठ मण्डल**	**73**	52	जालौन	19
15	अलीगढ	30	53	झासी	6
16	हाथरस	15	54	ललितपुर	3
17	एटा	2		झांसी मण्डल	28
18	कांशीराम नगर	1	**13**	**योग झांसी मण्डल**	**56**
	अलीगढ मण्डल	–	55	हमीरपुर	6
4	**योग अलीगढ मण्डल**	**48**	56	महोबा	0

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों की संख्या	क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
19	मथुरा	10	57	बांदा	18
20	आगरा	17	58	चित्रकूट	4
21	फिरोजाबाद	14		चित्रकूटधाम मण्डल	36
22	मैनपुरी	3	**14**	**योग चित्रकूटधाम मण्डल**	**64**
	आगरा मण्डल	20	59	प्रतापगढ	10
5	**योग आगरा मण्डल**	**64**	60	फतेहपुर	13
23	बदायूँ	0	61	कौशाम्बी	2
24	बरेली	10	62	इलाहाबाद	14
25	पीलीभीत़	0		इलाहाबाद मण्डल	8
26	शाहजहांपुर	0	**15**	**योग इलाहाबाद मण्डल**	**47**
	बरेली मण्डल	0	63	बाराबंकी	4
6	**योग बरेली मण्डल**	**10**	51	फैजाबाद	8
			52	अमेठी	—
27	अम्बेडकर नगर	2	66	आजमगढ	16
28	सुल्तानपुर	9	67	मऊ	7
	फैजाबाद मण्डल	—	68	बलिया	2
7	**योग फैजाबाद मण्डल**	**30**		आजमगढ मण्डल	25
29	बहराइच	5	**16**	**योग आजमगढ मण्डल**	**50**
30	श्रावस्ती	0	69	जौनपुर	24
31	बलरामपुर	11	70	गा़जीपुर	17
32	गोण्डा	12	71	चन्दौली	25
	देवीपाटन मण्डल	18	72	वाराणसी	7
8	**योग देवीपाटन मण्डल**	**46**		वाराणसी मण्डल	18
33	सिद्वार्थ नगर	4	**17**	**योग वाराणसी मण्डल**	**91**
34	बस्ती	10	73	संत रविदास नगर	4
35	सन्तकबीर नगर	20	74	मीरजापुर	10

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों की संख्या	क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	बस्ती मण्डल	34	75	सोनभद्र	10
9	**योग बस्ती मण्डल**	**68**		विन्ध्याचल मण्डल	12
36	महराजगंज	20	**18**	**योग विन्ध्याचल मण्डल**	**36**
37	गोरखपुर	29			
38	कुशी नगर	13			
39	देवरिया	25			
	गोरखपुर मण्डल	21			
10	**योग गोरखपुर मण्डल**	**108**			

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

19.4 राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण :

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण में राज्य प्रतिदर्श से सम्बन्धित क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य भी सम्पादित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 73वीं आवृत्ति का सर्वेक्षण कार्य किया गया।

******

फोटो सेक्शन

आई0एस0एस0 प्रशिक्षण दिनांक 16–27 मार्च 2015

सांख्यिकीय डायरी–2015 की बैठक

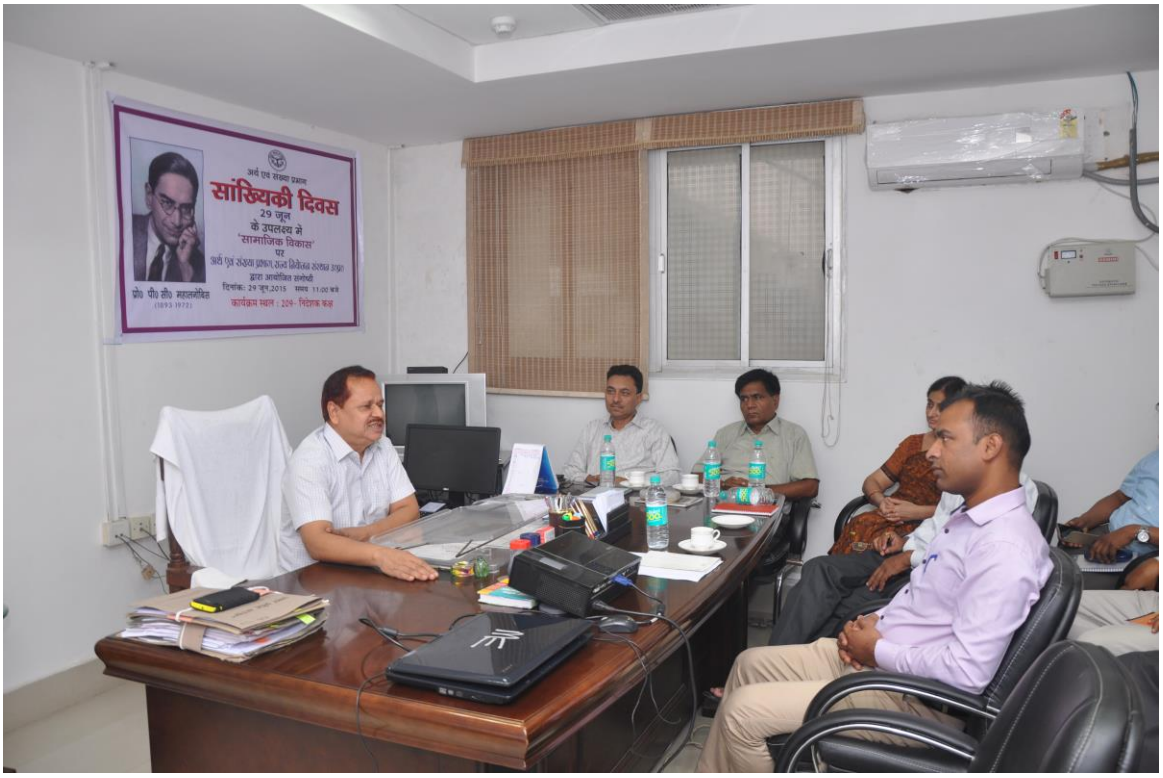

सांख्यिकी दिवस 2015 का आयोजन

सांख्यिकी दिवस 2015 का आयोजन

सांख्यिकीय डायरी की बैठक का आयोजन

सांख्यिकीय डायरी की बैठक का आयोजन